छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

(साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी)

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15

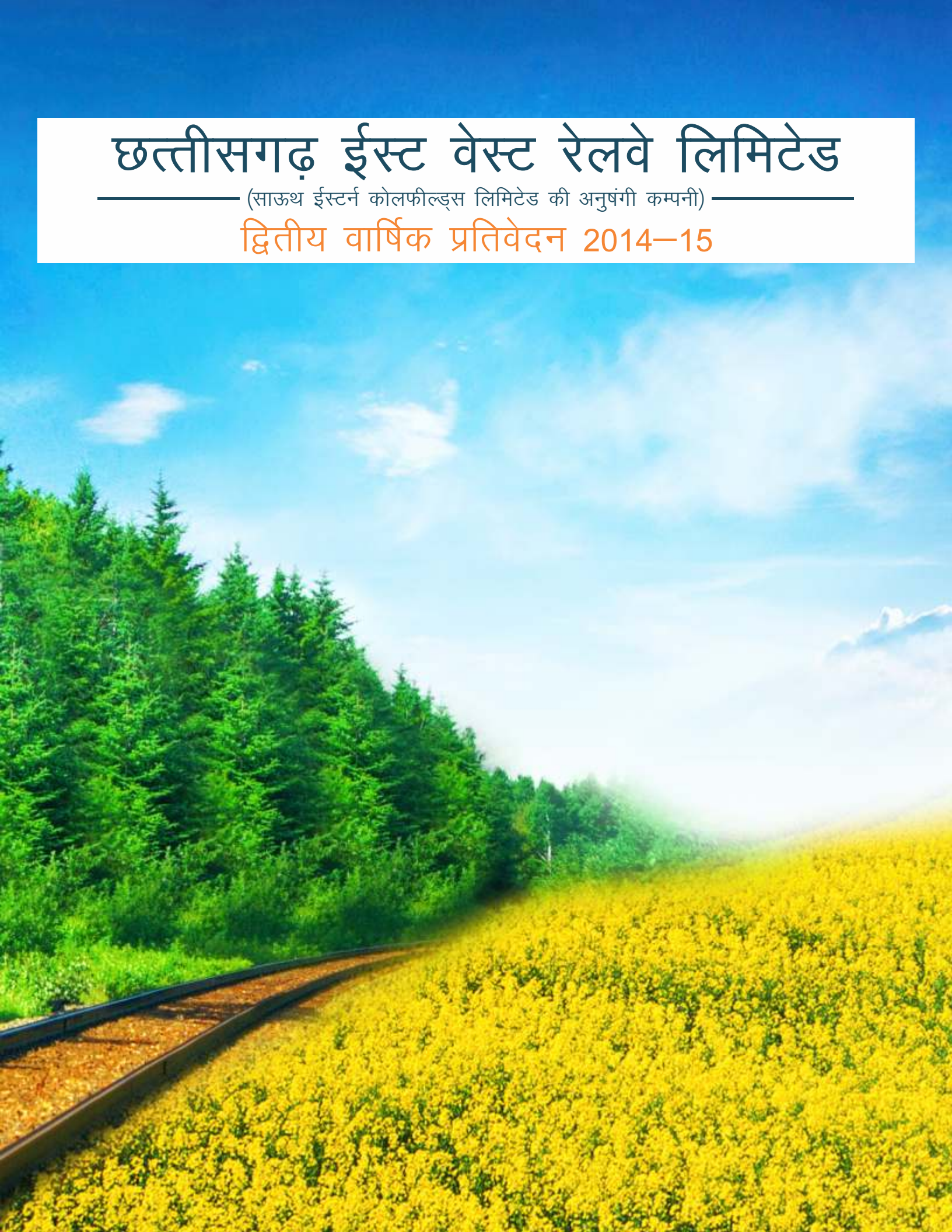

विषयसूची

- संदर्भ सूचना 02
- निदेशक मण्डल 03
- वार्षिक आम बैठक की सूचना 05
- अध्यक्ष का पत्र 08
- निदेशकों का परिचय 11
- निदेशकों का प्रतिवेदन 14
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के अधीन सूचना 23
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित सम्बद्ध पार्टियों के साथ संविदा/व्यवस्था का विवरण 24
- फार्म सं.–एमजीटी–9 में कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन का सार 26
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 35
- लेखा परीक्षक प्रतिवेदन 37
- 31 मार्च, 2015 तक का तुलन पत्र 42
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि की विवरणी 43
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरणी 44
- तुलन पत्र एवं लाभ और हानि विवरणी के भाग के रूप में टिप्पणियां 45
- सूचीकरण करारनामा (सेबी अनुसार) की धारा 41 के अधीन अनुलग्नक– I एवं IX 58
- सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण 63

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय :

छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महादेव घाट रोड,
रायपुरा चौक
रायपुर–492013 (छत्तीसगढ़)

निदेशक मण्डल :

श्री ए.पी. पण्डा	–	अध्यक्ष	(10.08.2013 से प्रभावशील)
श्री आर.पी.ठाकुर	–	निदेशक	(12.12.2013 से प्रभावशील)
डा. आर.एस. झा	–	निदेशक	(08.11.2014 से प्रभावशील)
श्री के.के.गर्ग	–	निदेशक	(25.03.2013 से प्रभावशील)
श्री संजय रस्तोगी	–	निदेशक	(25.03.2013 से प्रभावशील)
श्री सुनील मिश्रा	–	निदेशक	(04.05.2013 से प्रभावशील)
श्री देबराज पण्डा	–	अंशकालिक निदेशक	(29.12.2014 से प्रभावशील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	–	श्री विश्वजीत चौधरी	
मुख्य परिचालन अधिकारी	–	श्री राजेश खरे	
मुख्य वित्तीय अधिकारी	–	श्री रजनीश नारायण	

बैंकर्स :	सांविधिक लेखा परीक्षक :	कार्यरत कम्पनी सचिव :
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुन्दर नगर शाखा रायपुर, पिन–492013	मेसर्स ए.डी.बी. एंड कम्पनी, अधिकृत लेखाकार, प्रथम तल,महावीर गौशाला काम्पलैक्स, के. के. रोड, मौधापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)	मेसर्स एजीआर रेड्डी एंड कम्पनी कम्पनी सचिव, # 202, पवानी एनैक्स, बंजारा हिल्स, रोड नं.–2 हैदराबाद–500034

निदेशक मण्डल
(अवधि 2014–15)

अध्यक्ष (2014–15)

श्री ए.पी. पण्डा, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	(10.08.2013 प्रभाव से)

निदेशकगण (2014–15)

श्री आर. पी. ठाकुर, निदेशक (तकनीकी) (संचालन), एसईसीएल	(12.12.2013 प्रभाव से)
श्री ए.के.सिंह, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	(30.06.2014 तक)
डा. आर.एस. झा निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	(08.11.2014 प्रभाव से)
श्री के. के. गर्ग, निदेशक (वित्त), इरकॉन	(25.03.2013 प्रभाव से)
श्री संजय रस्तोगी, कार्यकारी निदेशक, इरकॉन	(25.03.2013 प्रभाव से)
श्री सुनील मिश्रा प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	(04.05.2013 प्रभाव से)
श्री ए.पी. सिंह मण्डल रेल प्रबंधक, एसईसीआर	(29.12.2014 तक)
श्री देबराज पण्डा, मण्डल रेल प्रबंधक, एसईसीआर	(29.12.2014 प्रभाव से)

निदेशक मण्डल
(21.05.2015 को)

अध्यक्ष

श्री ए.पी. पण्डा
निदेशक (वित्त), एसईसीएल

निदेशकगण

श्री आर.पी. ठाकुर,
निदेशक तकनीकी
(संचालन), एसईसीएल

डा. आर.एस. झा,
निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल

श्री के.के. गर्ग,
निदेशक (वित्त), इरकॉन

श्री संजय रस्तोगी,
कार्यकारी निदेशक, इरकॉन

श्री सुनील मिश्रा,
प्रबंध निदेशक,
सीएसआईडीसीएल

श्री देबराज पण्डा,
मण्डल रेल प्रबंधक,
एसईसीआर

वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रति,

समस्त सदस्य,

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के समस्त अंशधारकों को एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की द्वितीय आम बैठक महादेव घाटरोड, रायपुरा चौक, रायपुर–492013 (छत्तीसगढ़) स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 21 मई, 2015 गुरूवार को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा की जाएगी :

सामान्य कार्य :

01. दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय लेखा के साथ–साथ निदेशक मण्डल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्राप्त करना, विचार करना एवं स्वीकार करना ।

02. श्री संजय रस्तोगी (डीआईएन–06486684) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना, जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के नियमों के अनुसार रोटेशन प्रकिया से सेवानिवृत्त होने वाले हैं । उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देना ।

03. श्री सुनील मिश्रा (डीआईएन–06596121) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना, जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के नियमों के अनुसार रोटेशन प्रकिया से सेवानिवृत्त होने वाले हैं । उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देना ।

विशेष कार्य :

04. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीईडब्लूआरएल का परिवर्तित–संशोधित संस्था नियमावली (एओए) को अनुमोदित करना ।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव संशोधन सहित या बिना संशोधन के यदि पारित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उस पर विचार करना ।

प्रस्ताव किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के अनुमोदन के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसमें बनाए गए नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों, यदि हो तो, के अनुपालन में व्याख्यात्मक टिप्पणी में निर्दिष्ट अनुसार नवीन कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकतानुसार कम्पनी के संशोधित संस्था नियमावली सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी में निर्दिष्ट अनुसार कम्पनी के विद्यमान संस्था नियमावली के आर्टिकल 1 से 72 तक को बदलने हेतु एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

आगे यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष एवं श्री रजनीश नारायण, मुख्य वित्तीय अधिकारी को समस्त अधिनियमों, दस्तावेजों, विषयों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है, क्योंकि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए उनमें विवेकपूर्ण आवश्यक विचार करने और यथासमय निष्पादित करने सहित आवश्यक प्रपत्रों और रिटर्न भरने तथा आरओसी से स्टाम्प शुल्क के भुगतान का विवेक है ।

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़)–492013

दिनांक 15 मई, 2015

हस्ताक्षर/–
(ए.पी. पण्डा),
अध्यक्ष,
डीआईएन – 06664375

टिप्पणियां :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में अल्पकालिक सूचना पर वार्षिक आम बैठक बुलाने हेतु अंशधारकों की सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें आग्रह किया जाता है।

2. जो सदस्य बैठक में उपस्थित होने और मतदान देने के हकदार हैं वे अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्राक्सी को नियुक्त करने के हकदार हैं । प्राक्सी को कम्पनी का सदस्य होना अपेक्षित नहीं है । प्राक्सी की मान्यता के उद्देश्य से वे प्रपत्र को विधिवत भर दें और यह प्रपत्र वार्षिक आम बैठक शुरू होने के 48–घंटा पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए । प्राक्सी की नियुक्ति प्रपत्र संख्या–एमजीटी–11 में होगी,जो इसमें अनुलग्नित है ।

3. कार्पोरेट सदस्य से आग्रह है कि वार्षिक आम बैठक में अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं मतदान के लिए अधिकृत करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 113 के अनुपालन में बोर्ड प्रस्ताव की एक विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज दें ।

4. ऊपर में निर्दिष्ट अनुसार, विशेष व्यवसाय के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में सम्बद्ध विवरण इसके साथ अनुलग्नित है ।

5. सूचनाओं में उल्लिखित और उसके साथ अनुलग्नित सभी दस्तावेज सहित अन्य अनिवार्य रजिस्टर/दस्तावेज द्वितीय वार्षिक आम बैठक की तिथि के पूर्व सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण हेतु खुला रहेगा ।

वितरण :

1. श्री ओम प्रकाश, अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, एसईसीएल बिलासपुर
2. श्री ए.पी. पण्डा, निदेशक (वित्त), एसईसीएल एवं अध्यक्ष (सीईडब्लूआरएल)
3. श्री आर.पी. ठाकुर, निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल एवं निदेशक (सीईडब्लूआरएल)
4. डा. आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल एवं निदेशक (सीईडब्लूआरएल)
5. श्री के.के. गर्ग, निदेशक (वित्त), इरकॉन एवं निदेशक (सीईडब्लूआरएल)
6. श्री संजय रस्तोगी, कार्यकारी निदेशक (इरकॉन) एवं निदेशक (सीईडब्लूआरएल)
7. श्री सुनील मिश्रा, प्रबंध निदेशक (सीएसआईडीसीएल) एवं निदेशक (सीईडब्लूआरएल)
8. सीईडब्लूआरएल के समस्त निदेशक
9. मेसर्स एडीबी एंड कम्पनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, रायपुर
10. मेसर्स एजीआर रेड्डी एंड कम्पनी, कार्यरत कम्पनी सचिव, हैदराबाद

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक (4)

अनुच्छेद कम्पनी के आंतरिक क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए नियम एवं विनियम है । यह कम्पनी और इसके सदस्यों तथा परस्पर सदस्यों के बीच अनुबंध स्थापित करता है । कम्पनी की संस्था नियमावली एक ऐसा दस्तावेज है जो समझौता ज्ञापन सहित कम्पनी का संविधान स्थापित करता है, निदेशकों के कर्तव्य एवं दायित्वों, किए जाने वाले कार्यों के प्रकार तथा उन माध्यमों का जिसके द्वारा निदेशक मण्डल पर अंशधारक नियंत्रण करने का प्रयास करता है,की व्याख्या करता है ।

सीईडब्लूआरएल का विद्यमान संस्था नियमावली कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 25.03.2013 को कम्पनी के संस्थापन से प्रभाव में आ गया है । अब नया कम्पनी अधिनियम, 2013 दिनांक 01.04.2014 से प्रभाव में आ गया है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की दिशा में कम्पनी की संस्था नियमावली के संशोधन को अनिवार्य बना देता है ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 5 की उप–धारा (6) यह प्रावधान करता है कि कम्पनी अधिनियम की अनुसूची– । के तालिका एफ, जी, एच, आई एवं जे में निर्धारित संबंधित प्रपत्र ऐसी कम्पनी के लिए प्रयोज्य हो सकते हैं । इसके आगे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 5 की उप–धारा (9) यह प्रावधान करता है कि धारा (5) में कुछ न होने पर वे किसी पूर्व कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी की धारा से आवेदन करेंगे, जब तक कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संशोधित नहीं हो जाता है ।

चूंकि किसी संगठन के संचालन को पूरा करने की धारा में विशेष कंडिकायें होती है उसी तरह कम्पनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों में भी आवश्यक है । अतः यह प्रावधान किया जाता है कि नई आवश्यकताओं की दिशा में धारा बदले जाएं । चूंकि धारा में शामिल करने के लिए विविध प्रावधानों को अपने आप में विशेष कंडिकाओं की आवश्यकता होती है ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 (1) के अनुसार आम बैठक में विशेष प्रस्ताव के द्वारा संस्था नियमावली में बदलाव/संशोधन/हेरफेर किया जा सकता है । अतः सीईआरएल का विद्यमान संस्था नियमावली (अनुलग्नक– ।। के रूप में संलग्न है) के प्रतिस्थापन के लिए सीईडब्लूआरएल का संशोधित संस्था नियमावली (अनुलग्नक– । के रूप में संलग्न है) सीईडब्लूआरएल के निदेशक मण्डल की 13–वीं बैठक में दिनांक 06.05.2015 (मद क्रं–13:4:1) को अनुमोदित किया गया है और आम बैठक में अंशधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसा की गई है ।

प्रस्ताव किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के अनुमोदन के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसमें बनाए गए नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों, यदि हो तो, के अनुपालन में व्याख्यात्मक टिप्पणी में निर्दिष्ट अनुसार नवीन कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकतानुसार कम्पनी के संशोधित संस्था नियमावली सहित व्याख्यात्मक टिप्पणी में निर्दिष्ट अनुसार कम्पनी के विद्यमान संस्था नियमावली के आर्टिकल 1 से 72 तक को बदलने हेतु एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

आगे यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री ए.पी. पण्डा, अध्यक्ष एवं श्री रजनीश नारायण, मुख्य वित्तीय अधिकारी को समस्त अधिनियमों, दस्तावेजों, विषयों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत हों/अधिकृत किया जाता है, क्योंकि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए उनमें विवेकपूर्ण आवश्यक विचार करने और यथासमय निष्पादित करने सहित आवश्यक प्रपत्रों और रिटर्न भरने तथा आरओसी से स्टाम्प शुल्क के भुगतान का विवेक है ।

निदेशक, प्रबंधक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्तीय या अन्य विषयों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे या इच्छुक नहीं होंगे।

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

हस्ताक्षर/–
(ए.पी. पण्डा),
अध्यक्ष,
डीआईएन – 06664375

पंजीकृत कार्यालय :
महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़)–492013

दिनांक 15 मई, 2015

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय अंशधारक,

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड की द्वितीय आम वार्षिक बैठक में कम्पनी के निदेशक मण्डल की ओर से समस्त शेयर धारकों का स्वागत करते हुए तथा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की लेखा परीक्षित तुलन–पत्र तथा निदेशक प्रतिवेदन कम्पनी के सभी अंशधारकों को उपलब्ध करा दिया गया है । मुझे उम्मीद है आप सब इनसे अवगत होंगे ।

वित्तीय वर्ष 2014–15 रेल कॉरिडोर के स्वप्न को जमीनी हकीकत पर उतारने का वर्ष रहा है । परियोजना निष्पादन करार पर हस्ताक्षर के बाद दो जिलों अर्थात बिलासपुर व कोरबा में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ करने एवं भू–अभिलेखों के सत्यापन के लिए रेल एलाईनमेंट को अंतिम रूप दिया गया । चूंकि वृहत कोल ब्लाक परियोजना अर्थात गेवरा, दीपका और कुसमुंडा की बढ़ती यातायात इस कोरिडोर से होकर निकलेगी, अतः ईस्ट–वेस्ट रेल कोरिडोल एसईसीएल की जीवन रेखा बनने जा रही है । इस क्षेत्र में स्थापित हो रही माल ढुलाई एवं यातायात के आवागमन हेतु आधारभूत अवसंरचनाएँ जैसे–रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, सायडिंग, वार्फवॉल इत्यादि इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने में निश्चय ही सफल होंगे। दूसरे शब्दों में, इस क्षेत्र में विशिष्ट रेल परियोजना में कुछ किलोमीटरों के जुड़ाव से देश को फायदा पहुँच रहा है ।

आर्थिक परिदृश्य :

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक की भविष्यवाणियों के अनुसार वर्ष 2015–16 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर 7.50 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वे एवं बजट पूर्वानुमानों के मुताबिक इस वर्ष यह दर लगभग 8 प्रतिशत रहेगी । पूरे विश्व में आर्थिक परिदृश्य उतार–चढ़ाव से भरे रहेंगे तथा वैश्विक विकास दर 3.5 प्रतिशत के सामान्य दर पर रहने की उम्मीद है । कच्चे तेल की घटती कीमत से असंतुलन को भरने तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायता मिलेगी । कुछ विकसित अर्थ–व्यवस्थाओं में दीर्घावधि की मुद्रास्फीति या अवस्फीति, यूरोपीय संघ में अनिश्चितताएँ, कई भू–भागों में परस्पर संघर्ष से ऊपजे वैश्विक तनाव आदि कारक आर्थिक विकास को चुनौती प्रदान करते रहेंगे ।

वर्ष 2014–15 में घरेलू अर्थव्यवस्था के समष्टि अर्थ–व्यवस्थात्मक आधारों में मजबूती आई है जो विभिन्न संकेतों जैसे– जीडीपी में विस्तार, मुद्रास्फीति में कमी, वैश्विक तेल एवं गैस की कीमतों में गिरावट, विदेशी संस्थागत निवेशों का सतत प्रवाह एवं फॉरेक्स के जरिए धन का देश में आना, विनिमय दरों में स्थिरता, चालू बजट घाटे में कमी आदि–के जरिए परिलक्षित होती है । इसी प्रकार कुछ अन्य प्रयासों जैसे–मेक इन इण्डिया की पहल, जीएसटी को संभाविक रूप से लागू करने की आशा, राज्यों को कर की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी, उच्चतर टैक्स–जीडीपी अनुपात, गैर–कर राजस्व में अनुमानित बढ़ोत्तरी, गैर योजनागत व्यय में कमी, अनुपातिक रूप से विदेशी ऋण में कमी, वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता आदि आने वाले समय में आर्थिक विकास को रफ्तार देंगे ऐसी उम्मीद है ।

थोक मुद्रा सूचकांक (डब्ल्यू.ई.आई.) में अप्रैल 2015 में वार्षिक आधार पर लगातार छठे महिने गिरावट दर्ज की गई है तथा अवस्फीति 2.7 प्रतिशत मापी गई है । ईंधन की मुद्रास्फीति नवंबर 2014 में नकारात्मक हो चुकी है तथा जनवरी 2015 में यह नकारात्मक परिमाण दोहरे अंकों में जा पहुँचा है। विर्निमाण की वस्तुएँ जैसे कि खाद्य उत्पाद, खाद्य तेल, चीनी, कपास एवं मानव निर्मित सूती वस्त्र, चमड़ा, रबड़, रसायन एवं धातु वर्ग तथा प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में अप्रैल 2015 में 0.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई । इसी प्रकार प्राथमिक खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं में 0.3 प्रतिशत की गिरावट रही ।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रैल 2015 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह गया जो इससे पहले महिने 5.3 प्रतिशत था । इन्हीं महीनों में शहरी एवं ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति की दर मुख्यतया खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से 5.4 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई । वर्ष 2014–15 में औद्योगिक उत्पादन (आई.आई.पी.) 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी जबकि तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष यह 0.1 प्रतिशत कम रही । मार्च 2015 में विनिर्माण क्षेत्र एवं विद्युत उत्पादन क्रमशः 2.2 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की दर से बढ़े जबकि गत वर्ष इसी महीने के तुलना में खनन क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज हुई ।

रेलवे अवसंरचना

भारतीय रेलवे ने देश की अर्थ–व्यवस्था के लिए प्रमुख वाहन के रूप में स्थापित किया है । यह देश के परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करता है और विविध संस्कृतियों को जोड़कर राष्ट्र को एकीकृत करता है। यह लम्बी दूरी की यात्रा, भारी मात्रा में वस्तुओं को ले जाने, ऊर्जा कौशलता एवं परिवहन के पर्यावरणीय मैत्री को सुगम बनाता है । यह विश्व के रेलवे नेटवर्कों में सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें 64000 कि.मी. रेलवे लाईन है, 7000 से ज्यादा स्टेशन फैले हुए हैं एवं रोज 19000 गाड़ियां दौड़ रही हैं ।

किफायती विस्तारण के प्रति सहयोग के लिए वृहत ऊर्जा क्रियान्वित कर सरकार ने किफायती माल भाड़ा, पैसेंजर टर्मिनल, निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से उप–नगरीय कारिडोर ट्रेन सेट एवं लोकोमोटिव/ कोचों सहित स्टॉक क्रय का रोलिंग, हाईस्पीड ट्रेन परियोजना, रेलवे विद्युंतीकरण एवं सिग्नलिंग प्रणाली, ऊर्जा का गैर–परम्परागत स्त्रोत, सुरक्षा सुधार और दुर्घटना कम करने के तकनीकी समाधान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में निर्माण के लिए घरेलू और एफडीआई की अनुमति, रेलवे अवसंरचना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए सरकार ने गाईडलाईन जारी किया है । उपरोक्त गाईडलाईन घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। सरकार ने रेलवे अवसंरचना संस संचालन के माध्यम से 100–प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है जिसमें सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है ।

हाल ही में एलआईसी ने रेलवे के साथ 1.5 लाख करोड़ धरोहर राशि के निवेश का समझौता किया है जोकि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टरों के फण्ड संकट को समाप्त कर सकता है ।

कोयला निकासी एवं रेल नेटवर्क

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत में कुल उत्पादन का 81–प्रतिशत सहयोग करता है । एसईसीएल, सीआईएल की अनुषंगी है जो कोयला निकासी और प्रेषण में प्रमुख सहयोगी है । ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015 में 128 मिलियन टन कोयला की निकासी हुई, जोकि अर्थ–व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है । एसईसीएल ने लगभग 70–प्रतिशत कोयला रेल, मेरी–गो राउण्ड, बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से ऊर्जा सेक्टर को प्रेषित किया है । कम्पनी ने कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए और विद्यमान व नए कोलफील्ड्स से कोयला प्रेषण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है । उच्चतर उत्पादन संभार की चुनौतियों और लदान की सुविधाओं के आधुनिकीकरण द्वारा कोयले की द्रुत निकासी के लिए द्रुत–लदान प्रणाली (आरएलएस), उच्च क्षमतायुक्त साइलो आदि खदान से पर्यावरण मैत्री परिवहन प्रणाली की शुरूआत की गई है। एसईसीएल ने अपने कोयला खदानों से द्रुत गति से निकासी के लिए तथा पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए रेल अवसंरचना में सुधार पर बल दिया। एसईसीएल 2020 तक राष्ट्र का कोयला वार्षिक 1 बिलियन टन उपलब्ध कराने के सीआईएल की वचनबद्धता का हिस्सेदार बना है। इस विश्वास को पूरा करने के लिए रेल अवसंरचना के सामयिक विकास के द्वारा अनुकूल निकासी तंत्र की आवश्यकता है ।

संयुक्त उद्यम

एसईसीएल, इरकॉन एवं सीएसआईडीसी ने संयुक्त उद्यम कम्पनी अर्थात छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) गठित कर छत्तीसगढ़ में रेल सम्बद्धता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से हाथ मिलाया है । उपरोक्त उद्यम भार को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार प्रशासनिक सहयोग, रेलवे से तकनीकी सहयोग एवं एसईसीएल से वाणिज्यिक सहयोग मांगा है । सीईडब्लूआरएल को ईस्ट वेस्ट रेल कोरिडोर अर्थात गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड स्थापित करने के लिए निगमित किया गया है । इसे रेल अवसंरचना में निवेश से एवं रेल कोरिडोर के परिवहन–व्यापार से सृजित राजस्व के अंश से सहभागितात्मक व्यवसाय मॉडल द्वारा उद्यम में कायम रहने के लिए परिकल्पित किया गया है ।

आभार

मैं इस क्षेत्र में रेल कोरिडोर विकास के लिए सभी प्रकार से अंशधारकों के सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोरिडोर में अब तक की प्रगति उनके अथक प्रयास के बिना संभव नहीं हो पाती, जिन्होंने उद्यम पर विश्वास किया और हमारी वचनबद्धता से जुड़ने के लिए अपना हांथ बढ़ाया ।

मैं निदेशक मण्डल की ओर से,अंशधारकों तथा कम्पनी के प्रबंधकों, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, छ.ग. शासन, साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, कोल इंडिया लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि भविष्य में भी उनका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा । इस मौके पर मैं समस्त अधिकारियों तथा सहयोगियों का इस उद्यम में उनके समर्पण तथा कठिन परिश्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

धन्यवाद,

हस्ताक्षर/–
(ए.पी. पण्डा),
अध्यक्ष,
डीआईएन – 06664375

निदेशकों का परिचय

श्री ए.पी. पण्डा (47 वर्ष) निदेशक (वित्त), एसईसीएल ने दिनांक 10 अगस्त, 2013 को छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया । श्री पण्डा एक योग्य कास्ट एकाउंटेंट है तथा आपने एमबीए (वित्त) की योग्यता भी प्राप्त की है । आप इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य (एफसीएमए) है । निदेशक (वित्त), एसईसीएल एवं अध्यक्ष, सीईडब्लूआरएल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आपने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में विभिन्न पदों पर कार्य किया है ।

आपको कम्पनी के वित्तीय प्रबंधन में गहन व व्यापक अनुभव है। आपको फॉरेन इक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल है। आप वित्तीय प्रबंधन, लागत में कमी, आंतरिक नियंत्रण, तथा उत्पादकता/कार्य–दक्षता सुधार में उपलब्धि के माध्यम से संचालन में सुधार, प्रभावी व्यवसाय वृद्धि तथा लाभ को उच्चतम बिन्दु तक ले जाने में प्रमाणिक योग्यता के साथ एक कुशल नीति नियोजक हैं । आपको वित्तीय कार्यक्षेत्र में 23–वर्षों से भी अधिक अवधि का व्यापक अनुभव है । आप एक कुशल व प्रखर विश्लेषक है तथा आप रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी (आरओसी), बैंक, वित्तीय संस्थानों आदि सहित सरकारी विभागों, विनियामक प्राधिकारियों तथा बाह्य एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाने में अपनी प्रमाणिक योग्यता के बलबूते पर असाधारण संबंध प्रबंधन व वार्ता कौशल के विषय में प्रतिबद्ध प्रबंधन पदाधिकारी है ।

इसके अतिरिक्त, श्री पण्डा एसईसीएल की अनुषंगी कंपनी व सीईडब्लूआरएल की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं ।

श्री आर.पी. ठाकुर (58 वर्ष) निदेशक (तकनीकी) संचालन, एसईसीएल ने दिनांक 12.12.2013 को सीईडब्लूआरएल के बोर्ड में निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया। श्री ठाकुर ने इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स, धनबाद से खनन स्नातक की उपाधि ग्रहण की है तथा एक्सआईएसएस, रांची से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पीजी डिप्लोमा भी किया है । आपने वर्ष 1990 में बीआईटी मेसरा, रांची से एमबीए (विपणन एवं वित्त) की उपाधि ग्रहण किया हैं। आपने वर्ष 1977 में जेट (खनन) के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में कार्यभार ग्रहण किया तथा एसईसीएल में निदेशक (तकनीकी) संचालन का प्रभार लेने के पूर्व आप नवम्बर, 2013 के अंतिम दिनों तक फील्ड्स तथा कार्पोरेट स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य करने के साथ–साथ मुख्य महाप्रबंधक (संचालन–समन्वय) के पद पर भी कार्य किया। आपको खनन क्षेत्र में 37–वर्षों से भी अधिक अवधि का गहन व व्यापक अनुभव है ।

इसके अतिरिक्त, श्री ठाकुर आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नामित निदेशक तथा एसईसीएल की अनुषंगी कम्पनी तथा सीईडब्लूआरएल की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक भी हैं ।

डा. आर.एस. झा (54 वर्ष), निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल ने दिनांक 08.11.2014 को सीईडब्लूआरएल के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । डा. झा. एक बहुमुखी प्रतिभा के मानव संसाधन अधिकारी हैं, तथा आपको भिन्न–भिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्मिक कार्यों के समस्त पहलुओं में कार्य करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है । आपने श्रम एवं समाज कल्याण में एमए (टॉपर), एलएलबी एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है । आप ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न संस्थानों में विभिन्न पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें बिहार राज्य सुगर कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (अनुसूची–ए सीपीएसयू), वेदांता/स्टरलाईट ग्रुप ऑफ कम्पनीज, एनएमडीसी (नवरत्न कम्पनी) शामिल हैं ।
आपने कोल इंडिया लिमिटेड के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 21.06.2011 को महाप्रबंधक (कार्मिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात, आपने दिसम्बर, 2011 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर में महाप्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन) के पद पर कार्य किया, जहां आप श्रमशक्ति, भर्ती, अधिकारी स्थापना, कौशल विकास सामान्य प्रशासन आदि विभाग के प्रमुख भी रहे। आपने कम्पनी के मुख्य लोक सूचना अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी के पद पर भी कार्य किया। आपने हर अवसर पर सर्वत्र कार्यनीतिक अधिकारी होना सिद्ध किया है जो आपके विविध कार्यदल में सहभागिता प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। आप श्रमशक्ति सुव्यवस्थीकरण, कौशल विकास पहलकर्ता तथा मानव संसाधन विभाग के अन्य चुनौतिपूर्ण कार्यों में भी सहायक रहे हैं।

आपने दिनांक 04.05.2014 से 21.05.2015 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम,फ्रांकफर्ट स्कूल ऑफ फाईनेंस एंड मैनेजमेंट, जर्मनी तथा स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, स्वीडन में भी भाग लिया है।

इसके अलावा, डा झा एसईसीएल की अनुषंगी कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक भी हैं।

श्री के.के. गर्ग (59 वर्ष), निदेशक (वित्त), इरकॉन ने दिनांक 25.03.2013 को सीईडब्लूआरएल के निदेशक मण्डल में कार्यभार ग्रहण किया। श्री के.के.गर्ग ने वर्ष 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला से बी.काम किया। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के फेलो सदस्य है तथा आपको वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्षों से भी अधिक अवधि का गहन व व्यापक अनुभव है।

आपने वर्ष 1982 में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लेखा अधिकारी के पद पर अपने कैरियर की शुरूआत की। आपने एनएचपीसी लिमिटेड में 11–वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया । तत्पश्चात आपने एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर दिसम्बर, 1997 में अपर महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया तथा फरवरी, 2006 में कार्यकारी निदेशक (वित्त) पद पर पदोन्नत हुए व मई, 2007 तक इस पद को सुशोभित किया। इरकॉन में अपने 9 वर्ष 6–माह के कार्यकाल के दौरान, आप कार्पोरेट एकाउंट्स, कार्पोरेट कराधान, कार्पोरेट एमआईएस, तथा बजटरी कंट्रोल, वाणिज्यिक अध्यवसाय (ड्यू डेलीगेंस) तथा भारत व विदेश दोनों में बीओटी/वार्षिक–वृत्ति आधार पर परियोजनाओं के बोली के लिए वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण, वित्तीय मॉडल तैयार करने, संवेदनशीलता विश्लेषण व कार्य अवार्ड के वित्तीय क्लोजर के प्रभारी रहे।

आपने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (वर्तमान नाम एस.जे.वी.एन. लिमिटेड) में लगभग 2 वर्ष 6–माह तक निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य किया । आप दिनांक 3 नवम्बर, 2009 से इरकॉन के निदेशक (वित्त) हैं। आप समय–समय पर इरकॉन के भारतीय अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों अर्थात इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड तथा मोजाम्बिक में फारेन ज्वाईंट वेंचर कम्पनी सीसीएफबी के निदेशक नामित किए गए ।

श्री संजय रस्तोगी (54 वर्ष),कार्यकारी निदेशक, इरकॉन ने कंपनी की संस्था नियमावली में अंशदाता होने के नाते दिनांक 25.03.2013 को निदेशक, सीईडब्लूआरएल का प्रभार ग्रहण किया । श्री रस्तोगी ने बी.टेक (सिविल इंजीनियर) की उपाधि प्राप्त की है तथा आप इंडियन रेलवे सर्विसेस ऑफ इंजीनियरिंग (आईआरएसई) केडर के 1983 बैच के अधिकारी हैं। अपने 31 वर्षों की सेवा के दौरान आपने रायपुर–विजियानगरम दोहरे रेल लाईन,अलीगढ़–गाजियाबाद तीहरे रेल लाईन परियोजना आदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन किया। आपने मुख्य ट्रेक इंजीनियर, मुख्य ट्रेक मशीन इंजीनियर पद पर कार्य करने के अतिरिक्त राईट्स लिमिटेड में नगरीय/शहरी योजना (अर्बन प्लानिंग) के क्षेत्र में भी कार्य किया। आपको चीन एवं इंडोनेशिया में बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने चुनौतीपूर्ण उधमपुर–श्रीनगर–बारामुला रेल लाईन परियोजना का कार्य करने वाले दल का भी नेतृत्व किया है ।

इसके अलावा, श्री रस्तोगी एसईसीएल की अनुषंगी कम्पनी तथा सीईडब्लूआरएल की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक भी हैं ।

श्री सुनील मिश्रा (49–वर्ष) प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल ने दिनांक 04.05.2013 को सीईडब्लूआरएल के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ केडर के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं । वन विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान आपने ''समग्र ग्राम विकास मॉडल'' के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 400 ग्रामों में गरीबी/निर्धनता उन्मुलन पर उत्कृष्ट कार्य किया, जिसे इंडियन फारेस्ट्री कांग्रेस, 2011 द्वारा रोल–मॉडल के रूप में अपनाया गया । आपको जल संरक्षण तथा बरनवापारा सैंक्चूऐरी में इको–टूरिज्म के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2008 में ग्रीन गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया । वर्तमान में, आप छत्तीसगढ़ राज्य औद्यौगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का उपक्रम) में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण औद्यौगिक विकास कार्य के लिए औद्योगिक इकाईयों को भूमि आबंटित कर औद्यौगिक क्षेत्रों/सेक्टर में विशिष्ट औद्यौगिक पार्क की स्थापना करने, उसे बनाए रखने, औद्यौगिक प्रगति व स्थानीय लघु उद्योगों को कच्चा माल यथा :– कोयला, आयरन एवं स्टील उपलब्ध कराने में आपकी भूमिका सराहनीय रही ।

इसके अलावा, श्री मिश्रा एसईसीएल की अनुषंगी कम्पनी तथा सीईडब्लूआरएल की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड कें निदेशक भी हैं ।

श्री देबराज पण्डा (53 वर्ष), मण्डल रेल प्रबंधक, एसईसीआर, बिलासपुर ने दिनांक 29.12.2014 को सीईडब्लूआरएल–बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । जेएनयू से अर्थ–शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त श्री पण्डा 1985 बैच के आईआरटीएस अधिकारी हैं। मण्डल रेल प्रबंधक, एसईसीआर, बिलासपुर मण्डल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आप ईस्ट कोस्ट रेलवे, संबलपुर मण्डल में मण्डल रेल प्रबंध के पद पर कार्य किए। आपने ईस्ट–कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) में भी वरीय उप महाप्रबंधक (एसडीजीएम) के पद पर कार्य किया है । तत्पश्चात, आपने कोलकाता में ग्रुप महाप्रबंधक (जीजीएम) के पद पर आईआरसीटीसी में कार्यभार ग्रहण किया । उसके पश्चात आपने ईसीओआर के मुख्य भाड़ा परिवहन प्रबंधक (सीएफटीएम) के पद पर कार्य किया । आपने एचईसी पेरिस एवं जोहानसबर्ग में यूआईसी के लिए आयोजित कार्यनीति प्रबंधन में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है ।

उपरोक्त के अलावा, श्री पण्डा एसईसीएल की अनुषंगी कम्पनी तथा सीईडब्लूआरएल की सहयोगी कम्पनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक भी हैं ।

निदेशक प्रतिवेदन

आदरणीय सदस्यगण,

मुझे, आपकी कम्पनी के निदेशक–मण्डल की ओर से, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का आपकी कम्पनी के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखा विवरण के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखा पर टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए असीम प्रसन्नता है।

1.0 कार्य–निष्पादन की झलक :

वित्तीय वर्ष 2014–15 ने लोकहित के उद्देश्य से अंचल में रेल अवसंरचना के विकास हेतु मार्ग–प्रशस्थ किया है। सर्व संबंधितों के साथ कई बैठकें में लम्बी चर्चा व विचार विमर्श के बाद, रेल संरेखण (रेल एलाईनमेंट) को अंतिम रूप देते हुए तराशा गया था। अंचल में आने वाले पावर ग्रिड ट्रांसमिशन टावर्स के अनुसार संबंधित रेल संरेखण में आवश्यक परिवर्तन परिवर्तित किया गया। प्रस्तावित रेल संरेखण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरबा जिला से होते हुए प्रस्तावित है। आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसका सार नीचे दर्शित है–

1. साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर) के साथ लम्बी चर्चा के दौरान संरेखण मुद्दे एवं सायडिंग तक कनेक्टिविटी पर सुझाए गए परिवर्तन–संशोधन के अनुसार मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

2. भूमि–सर्वेक्षण और भू–अभिलेखों के सत्यापन पश्चात, रेलवे अधिनियम, 1989 के अधीन बिलासपुर जिला में निजी भूमि अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कोरबा जिला में सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य प्रगति पर है ।

3. सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है ।

4. वन भूमि के संबंध में सर्वेक्षण, सत्यापन व वृक्ष गणना का कार्य प्रगति पर है ।

5. समय की बचत को ध्यान में रखते हुए, ''वन्य जीव संरक्षण योजना'' तैयार करने के लिए ट्रापिकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीएफआरआई), जबलपुर से अनुरोध किया गया है ।

2.0 संगठन :

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशल कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ शासन (सीएसआईडीसी द्वारा प्रतिनिधित्व) की संयुक्त उद्यम कम्पनी होने के नाते, कम्पनी का निगमन–गठन रेल नेटवर्क के विकास एवं छत्तीसगढ़ के उत्तरी अंचल में गेवरा रोड से पेण्ड्रा रोड तक वैकल्पिक मार्ग से होते हुए एसईसीएल की गेवरा, दीपका तथा कुसमुंडा खदानों से निरंतर बढ़ रहे कोयला उत्पादन से मुख्यतः कोयला परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए किया गया । इसके गठन का मुख्य उद्देश्य कोयले की निकासी के संबंध में भविष्य की चुनौतियों तथा देश की बढ़ती कोयले की मांग–आवश्यकता को पूरा करना है। रेलवे मंत्रालय (भारत सरकार) ने छत्तीसगढ़ राज्य में ईस्ट वेस्ट रेल कोरिडोर को **''विशेष रेलवे परियोजना''** के रूप में अधिसूचित किया है, जो सार्वजनिक उददेश्य के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा रेलवे अधिनियम, 1989 के अधीन भूमि का अधिग्रहण करने के लिए है।

3.0 प्रवर्तक (प्रमोटर) कम्पनियों की भूमिका :

प्रस्तावित संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय भावना के उद्देश्य से भागीदारों की आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए सहभागिता सृजित करता है। एमओयू दिनांक 03.11.2012 के अनुसार, संयुक्त उद्यम भागीदारों ने कंपनी का गठन करते हुए इक्विटी/ऋण आदि के वांछनीय रूप में अपेक्षित विस्तृत वित्तीय सहयोग के अलावा परियोजना की संभाव्यता अध्ययन और बैंकग्रहिता की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की है। जहां छत्तीसगढ़ का इक्विटी शेयर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के मूल्य के समरूप होगा । कम्पनी (सीईडब्लूआरएल) का गठन, एसईसीएल, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन से इक्विटी अंशदान द्वारा किया गया है ।

प्रवर्तक की भूमिका रेल अवसंरचना की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है तथा इसकी स्थापना साझा प्लेटफार्म के लिए है, ताकि सीमित अवधि में एसोसिएशन द्वारा इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय, एसईसीएल का ध्यान पारिस्थितकीय जन्यरूप में रेल द्वारा कोयला निकासी की प्रक्रिया पर, रेल परिवहन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इरकॉन की हिस्सेदारी, तथा छत्तीसगढ शासन द्वारा रेल बिछाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की ओर है । प्रक्रिया के पहल के रूप में, सीईडब्लूआरएल द्वारा इरकॉन के साथ दिनांक 05.04.2014 को परियोजना कार्य–निष्पादन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार सीईडब्लूआरएल जिसे परियोजना प्रबंधन परामर्शता के रूप में कार्य करने के लिए रेलवे परियोजना के कार्यान्वयन का विशेषज्ञ माना जाता है, द्वारा गेवरा रोड से पेण्ड्रा रोड तक प्रस्तावित रेल परियोजना का निर्माण कार्य निष्पादित किया जाएगा ।

4.0 परियोजना निष्पादन अनुबंध :

कम्पनी की ईस्ट–वेस्ट रेल कोरिडोर परियोजना (कोरिडोर–।।।) के निष्पादन के लिए, परियोजना कार्य निष्पादन अनुबंध पर दिनांक 05 अप्रैल, 2014 को सीईडब्लूआरएल एवं इरकॉन के मध्य हस्ताक्षर किए गए।

अनुबंध के अंतर्गत कार्यकलापों में यथा–मार्ग का चयन, भूमि अधिग्रहण, विस्तृत सर्वेक्षण कार्य, परियोजना की लागत, परियोजना लागत की स्थापना हेतु व्यावहार्यता/बैकग्रहिता प्रतिवेदन तैयार करना, भूमि के डाटा का संग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आरएंडआर) कार्य, पुनर्वास एवं पुनस्थार्पना कार्यकलापों में आवर्ती सहयोग, डीपीआर तैयार करना, रेल नेटवर्क का निर्माण एवं पूर्णता, रियायत अनुबंध के अधीन व्यवस्था, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के उददेश्य के लिए वन भूमि की अनुमति व व्यपवर्तन आदि शामिल है। ईस्ट–वेस्ट रेल कोरिडोर परियोजना गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड को जोड़ेगी ।

5.0 पूंजीगत संरचना :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी की अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था,जोकि रू. 5.00 करोड़ था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी की 40,05,000–नग इक्विटी शेयर, एसईसीएल एवं इरकॉन को क्रमशः 64–प्रतिशत एवं 26–प्रतिशत के उनके शेयरहोल्डिंग अनुपात में जारी की गई थी। शेयर पूर्णतः अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त हैं। सीएसआईडीएल का इक्विटी अंशदान, भूमि की लागत के रूप में होगा । प्रवर्तक कम्पनियों का इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न नीचे दर्शित है :

कंपनी का नाम	31.03.2015 को शेयर होल्डिंग पैटर्न	31.03.2014 को शेयर होल्डिंग पैटर्न
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	71.02 प्रतिशत	64 प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	28.85 प्रतिशत	26 प्रतिशत
सीएसआईडीसी (छ.ग. शासन की प्रतिनिधि)	0.13 प्रतिशत	10 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

6.0 वित्तीय परिणाम :

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 का वित्तीय परिणाम नीचे दर्शित है :

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (रू.)	25.03.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए (रू.)
वर्ष हेतु लाभ/हानि	(4,04,397.00)	(13,45,783.70)
पिछले वर्ष से लाया गया लाभ/हानि	(13,45,783.70)	–
तुलन पत्र में में लाया गया शेष	(17,50,180.70)	(13,45,783.70)

7.0 पूंजीगत व्यय :

(I) प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कार्यालय भवन के अधिग्रहण व साज–सज्जा तथा कार्यालयीन फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि की खरीदी में रू. 1,48,88,190.00 की सीमा तक निवेश किया गया।

(ii) परियोजना के प्रथम चरण के कार्य निष्पादन के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में रू. 75,53,702.00 की सीमा तक निवेश किया गया ।

8.0 राजकोष में योगदान : कुछ नहीं

9.0 ऋण निधि :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई ऋण नहीं लिया ।

10.0 भूमि अधिग्रहण :

i. निजी भूमि का सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य एलाईनमेंट में परिवर्तन होने के कारण प्रगति पर है ।

ii. सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र बिलासपुर जिला में प्रस्तुत किया गया है ।

iii. कोरबा जिला में भूमि का सर्वेक्षण एवं सत्यापन कार्य तथा वन भूमि के वृक्षों की गणना का कार्य प्रगति पर है ।

11.0 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन :

साऊथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे (एसईसीआर) के साथ लम्बी चर्चा के दौरान संरेखण मुद्दे एवं सायडिंग तक कनेक्टिविटी पर सुझाए गए परिवर्तन–संशोधन के अनुसार मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

12.0 कार्यालय भवन :

सीईडब्लूआरएल (सीईआरएल के साथ संयुक्त रूप में) ने सीएसआईडीसी कामर्शियल काम्पलैक्स, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर में सीएसआईडीसी से 30–वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर कार्यालय भवन लिया है ।

कार्यालय की साज–सज्जा पूरा किया जा चुका है तथा कार्यालय जुलाई, 2014 से पूर्णरूप में संचालित है ।

13.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन :

मुख्य कार्मिकों की सुस्थापित संरचना, सुपरिभाषित भूमिका एवं अधिकार प्रदत्त उत्तरदायित्व उनकी निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावशीलता के लिए उन्हें और अधिक सामर्थ्यवान बनाता है। इस महत्व पर भरोसा करते हुए, मुख्य अधिकारियों के लिए समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, ताकि वे पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं लागत पर जोर देते हुए प्रचलित नीतियों, प्रक्रियाओं एवं मार्गनिर्देशों के अनुसरण में अपने उत्तरदायित्वों का समुचित रूप में निर्वहन कर सकें ।

14.0 प्रबंधन दल :

कम्पनी का प्रबंधन दल एसईसीएल व इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए निम्नलिखित श्रमशक्ति के साथ कार्य कर रहा है :

स.क.	नाम	पदनाम	से प्रतिनियुक्ति पर
1	श्री विश्वजीत चौधरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	एसईसीएल
2	श्री रजनीश नारायण	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	एसईसीएल
3	श्री राजेश खरे	मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ)	इरकॉन
4	श्री नरेन्द्र बोन्द्रे	उप प्रबंधक (सिविल)	इरकॉन
5	श्री अनुप अग्रवाल	सहायक प्रबंधक (वित्त)	एसईसीएल

15.0 लेखा परीक्षक :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन, निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रतिष्ठान को वित्तीय वर्ष 2014–15 अर्थात 01.04.2014 से 31.03.2015 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया :

मेसर्स एडीबी एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार,
प्रतिष्ठान पंजीयन संख्या–005593सी
प्रथम तल,
महावीर गौशाला काम्पलैक्स,
के.के. रोड, मौधापारा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

16.0 निदेशक मण्डल :

सीईडब्लूआरएल के निदेशक मण्डल में 7 (सात) सदस्यगण, यथा एसईसीएल के नामिनी के रूप में अध्यक्ष एवं 2–निदेशक, इरकान के नामिनी के रूप में 2–निदेशक, सीएसआईडीसीएल के नामिनी के रूप में 1–निदेशक तथा रेल मंत्रालय के नामिनी के रूप में एक निदेशक शामिल है।

16.1 31.03.2015 तक के निदेशक मण्डल का संयोजन नीचे दर्शित है :

स.क.	नाम	पदनाम	नियुक्ति तारीख
1	श्री ए.पी. पण्डा, निदेशक (वित्त), एसईसीएल	अध्यक्ष	10.08.2013
2	श्री आर.पी. ठाकुर, निदेशक (तक.) संचालन, एसईसीएल	निदेशक	12.12.2013
3	डॉ आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	निदेशक	08.11.2014
4	श्री के.के. गर्ग, निदेशक (वित्त), इरकॉन	निदेशक	25.03.2013
5	श्री संजय रस्तोगी, कार्यकारी निदेशक, इरकॉन	निदेशक	25.03.2013
6	श्री सुनील मिश्रा, प्रबंध निदेशक, सीएसआईडीसीएल	निदेशक	04.05.2013
7	श्री देबराज पण्डा, मंडल रेल प्रबंधक, एसईसीआर	निदेशक	29.12.2014

16.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक पद पर नियुक्त हुए –

स.क.	नाम	पदनाम	नियुक्ति तारीख
1	डॉ आर.एस. झा, निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	निदेशक	08.11.2014
2	श्री देबराज पण्डा, मंडल रेल प्रबंधक, एसईसीआर	निदेशक	29.12.2014

16.3 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक पद त्याग दिए–

स.क.	नाम	पदनाम	पद त्यागने की तारीख	टिप्पणियां
1	श्री ए.के. सिंह, पूर्व निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल	निदेशक	30.06.2014	अधिवार्षिता पर
2	श्री ए.पी. सिंह, पूर्व डीआरएम, एसईसीआर	निदेशक	29.12.2014	स्थानान्तरण पर

17.0 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

17.1 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पद पर नियुक्त हुए–

स.क.	नाम	पदनाम	नियुक्ति तारीख
1	श्री विश्वजीत चौधरी, महाप्रबंधक (खनन), एसईसीएल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	05.06.2014
2	श्री रजनीश नारायण, वरीय प्रबंधक (वित्त), एसईसीएल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	09.05.2014

17.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पद त्याग दिए–

स.क.	नाम	पदनाम	पद त्यागने की तारीख	टिप्पणियां
1	श्री यु.टी. कंझरकर, महाप्रबंधक (वि.बै.प./पर्यावरण), एसईसीएल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	05.06.2014	स्थानान्तरण पर
2	श्री पी.के. बोस, महाप्रबंधक (वित्त), एसईसीएल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	09.05.2014	स्थानान्तरण पर

18.0 बोर्ड की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड की 8–बैठकें हुई। दो बैठको के मध्य समय का अधिकतम अंतराल 120–दिनों से अधिक नहीं था। अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

बैठक	संख्या बैठक की तारीख	समय	बैठक का स्थल
पांचवी	05.04.2014	दोपहर 12.30 बजे	बिलासपुर
छठवीं	14.06.2014	दोपहर 02.00 बजे	बिलासपुर
सांतवी	14.06.2014	सायं 04.30 बजे	बिलासपुर
आठवीं	22.07.2014	प्रातः 11.30 बजे	रायपुर
नवमी	27.09.2014	दोपहर 12.30 बजे	रायपुर
दसवीं	21.10.2014	दोपहर 12.00 बजे	बिलासपुर
ग्यारहवी	23.12.2014	दोपहर 12.30 बजे	रायपुर
बारहवी	17.01.2015	दोपहर 12.30 बजे	रायपुर

19.0 बैंकर का नाम तथा पता :

स.क.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	सुंन्दर नगर शाखा, रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन–492013

20.0 निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, आपकी कम्पनी के निदेशकों के विवरण की संपुष्टि इस प्रकार है :

(I) यह कि, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा तैयार करने में, प्रयोज्य लेखाकरण मानको को मुख्य व्यवहार के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है।

(ii) यह कि, निदेशको ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनका सतत अनुकुल प्रयोग किया है और तदनुसार निर्णय लिया है ताकि आकलन करते समय वे समुचित व विवेककपूर्ण हो एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी कार्य की स्थिति तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के लाभ या हानि का सही व उचित रूप स्पष्ट हो सके।

(iii) यह कि, निदेशको ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव हेतु समुचित व पर्याप्त सावधानियां बरती है तथा कम्पनी के परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य नियमितताओं का पता लगाने व उनके रोकथाम के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए हैं।

(iv) यह कि, निदेशकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु ''चलित उपक्रम'' आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए है।

(v) निदेशको ने सभी प्रयोज्य नियमों/कानूनों, उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई और ये सभी प्रणाली समुचित व प्रभावी रूप में संचालित थे।

21.0 उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–1 में दर्शित है।

22.0 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सहपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अधीन कर्मचारियों की पारिश्रमिक से संबंधित सूचना :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सहपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना देना आपकी कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है, चूंकि कम्पनी में रू. 5,00,000.00/–प्रति माह या रू. 60,00,000.00/–प्रति वर्ष या इससे अधिक कोई भी कर्मचारी, अथवा प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक और वे स्वयं सहित उनकी पत्नी–पति, आश्रित बच्चे कम्पनी के इक्विटी शेयर का 2–प्रतिशत से कम आहरित नहीं कर रहे थे।

23.0 संम्बद्ध पार्टी लेनदेन–संव्यवहार :

वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टी लेनदेन–संव्यवहार उचित व सीमित आधार पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में किया गया था । कम्पनी के प्रवर्तको, निदेशकों, प्रबंधकों या उनके संबंधियों के साथ व्यावहारिक रूप में ऐसा कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेनदेन–संव्यवहार नहीं किया गया, जो कम्पनी के हित में संभावित विरोध की स्थिति पैदा कर सकती थी । कम्पनी द्वारा कारोबार के साधारण अनुक्रम में सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन–संव्यवहार सावधिक रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर उनके समग्र/सर्वसम्मत अनुमोदन पर किया जाता है तथा प्रपत्र एओसी–2 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए संविदा का विवरण, इस प्रतिवेदन में, अनुलग्नक–।। के रूप में संलग्न है ।

24.0 फार्म संख्या एमजीटी. 9 में वार्षिक रिटर्न का सार :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में प्रतिवेदनाधीन वर्ष के लिए प्रपत्र सं.–एमजीटी–9 में कम्पनी के वार्षिक विवरण का सार, अनुलग्नक–।।। में दिया गया है।

25.0 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने न तो कोई ऋण स्वीकृत किया है, और न कोई गारंटी बढ़ाई है या निवेश किया है ।

26.0 लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा पर लेखा परीक्षको का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के भाग के रूप में अनुलग्नक–IV व V में दिया गया है।

27.0 आभार :

आपके निदेशक कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त सहयोग, अमूल्य समर्थन एवं मार्गनिर्देशन के लिए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते है। आपके निदेशक संभागीय एवं जिला प्रशासन एवं उन सभी के प्रति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रेल कारीडोर के विकास के लिए समय–समय पर अपना सहयोग प्रदान किए, को धन्यवाद देते है।

आपके निदेशक समस्त अंशधारकों का प्रबंधन के प्रति उनके निरंतर समर्थन व विश्वास के लिए धन्यवाद व शुभकामनाए व्यक्त करते है। आपके निदेशक कम्पनी की निरंतर प्रगति एवं उन्नति हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों के अथक प्रयास एवं अमुल्य योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते है जिससे हम सपने को वास्तविक रूप में साकार कर पा रहे है।

28.0 परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज अनुलग्नक में है :

28.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के उपबंधों के अनुसरण में, उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में दी गई है।

28.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के उपबंधों के अनुसरण में, संम्बद्ध पार्टियों के साथ किए गए संविदा या व्यवस्थाओ से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में दी गई है।

28.3 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अधीन 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए फार्म सं.–एमजीटी. 9 में कम्पनी के वार्षिक विवरण (रिटर्न) का सार अनुलग्नक–III में दिया गया है।

28.4 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) सहपठित धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में दी गयी है।

28.5 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–V में दिया गया है।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06664375

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

(अनुलग्नक– I)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के अधीन प्रकट किए जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय पर जानकारी/सूचना निम्नानुसार है :

क. ऊर्जा का संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय या प्रभाव :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक संचालन कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः प्रयोज्य नहीं ।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के लिए कम्पनी द्वारा किए गए उपाय :

प्रयोज्य नहीं ।

ग) ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपकरण पर पूंजी निवेश

कम्पनी ने कार्यालय भवन में बिजली की बचत करने वाला यंत्र लगाया है ।

(ख) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण

क) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के लिए किए गए प्रयास :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक संचालन कार्य प्रारंभ नहीं किया है,अतः प्रयोज्य नहीं ।

ख) उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में वृद्धि या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक संचालन कार्य प्रारंभ नहीं किया है,अतः प्रयोज्य नहीं ।

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से माना गया)

(क)	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	:	कुछ नहीं
(ख)	आयात का वर्ष	:	कुछ नहीं
(ग)	क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः आत्मसात की गई	:	कुछ नहीं
(घ)	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं की गई हो तो, क्षेत्र जहां आत्मसातीकरण नहीं हो पाया, तथा उसका कारण बताएं, और	:	कुछ नहीं
(ड़)	अनुसंधान और विकास पर हुआ व्यय	:	कुछ नहीं

अनुसंधान और विकास पर व्यय (रू. लाख में)

स.क्रं.	विवरण	2014–15	2013–14
1	पूंजी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	आवर्ती	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कुल टर्नओवर के प्रतिशत रूप में कुल अनुसंधान और विकास व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित विदेशी विनियम व्यय और विदेशी विनिमय अर्जन ''शून्य'' है।

अनुलग्नक– ।।

फार्म संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) का खण्ड (एच) तथा कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित सम्बद्ध पार्टियों के साथ कम्पनी द्वारा किए गए करार/व्यवस्था के विवरणों का प्रकटीकरण का प्रपत्र तथा उसमें तृतीय उपबंध के अधीन कुछ उचित लेनदेन–संव्यवहार

1. संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार–लेनदेन का विवरण, जोकि उचित आधार पर नहीं हुआ

(क)	सम्बद्ध पार्टी का नाम एवं संबंध का स्वरूप	कुछ नहीं
(ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन का स्वरूप	कुछ नहीं
(ग)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	कुछ नहीं
(घ)	संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की प्रमुख शर्तें, मूल्य सहित,यदि कोई हो	कुछ नहीं
(ड.)	ऐसे किए गए संविदा या व्यवस्था या लेनदेन का औचित्य	कुछ नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	कुछ नहीं
(छ)	अग्रिम रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	कुछ नहीं
(ज)	धारा 188 के प्रथम उपबंध के अधीन यथा–अपेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प–प्रस्ताव की तिथि	कुछ नहीं

2. उचित आधार पर किए गए सामग्री–अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

(क) सम्बद्ध पार्टी का नाम एवं सम्बंध का स्वरूप :

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड की सहयोगी कम्पनी)

(ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन का स्वरूप :

कम्पनी ने ईस्ट वेस्ट कोरिडोर परियोजना को प्रारंभ करने के लिए दिनांक 05.04.2015 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन अनुबंध निष्पादित किया है इसके अंतर्गत कार्यकलापों में यथा– मार्ग का चयन, भूमि अधिग्रहण, विस्तृत सर्वेक्षण कार्य, परियोजना की लागत, परियोजना लागत की स्थापना हेतु व्यावहार्यता/बैकग्रहिता प्रतिवेदन तैयार करना, भूमि के डाटा का संग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आरएंडआर) कार्य, पुनर्वास एवं पुनर्स्थार्पना कार्यकलापों में आवर्ती सहयोग, डीपीआर तैयार करना, रेल नेटवर्क का निर्माण एवं पूर्णता, रियायत अनुबंध के अधीन व्यवस्था, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधो के अनुसार परियोजना के उददेश्य के लिए वन भूमि की अनुमति व व्यपवर्तन आदि शामिल है।

ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि :

परियोजना कार्य निष्पादन अनुबंध, रियायत अनुबंध के अनुसार ईस्ट वेस्ट रेल कोरिडोर के संचालन होने तक प्रवृत्त होगा ।

(घ) संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की प्रमुख शर्तें, मूल्य सहित,यदि कोई हो :

(i) परियोजना कार्य–निष्पादन अनुबंध दिनांक 05.04.2015 के अनुसार, ईस्ट वेस्ट रेल कोरिडोर 3.5 वर्षों में पूरा होगा।

कम्पनी नीचे दिए गए विषयांकित कार्यों के निष्पादन के लिए इरकॉन को भुगतान करेगी :

(क) भूमि का अधिग्रहण :

काश्तकारी भूमि (शासकीय भूमि एवं वन भूमि को छोड़कर) हेतु रू.1,75,000/–(रू. एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) प्रति एकड़ की दर पर, जिसका भुगतान प्रमागी रूप में किया जाना है, उसमें भूमि अधिग्रहण के लिए इरकॉन द्वारा नियुक्त परामर्शता को भुगतान, आरएंडआर नीति की रूपरेखा तैयार करना तथा लाईसेंस व अनुमति प्राप्त करना आदि शामिल होगा।

सुपुर्दगी के लिए चरणबद्ध भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

चरण i : 20–प्रतिशत राशि का भुगतान धारा 20ए के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पश्चात किया जाएगा।
चरण ii : भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अवार्ड किए जाने के पश्चात 60–प्रतिशत राशि का भूगतान किया जाएगा।
चरण iii : भूमि का विधिक रूप में प्रत्यक्ष अधिकार मिलने के पश्चात शेष 20–प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) व्यवहार्यता अध्ययन : कार्य के **"अनुमानित परियोजना लागत"** का 1–प्रतिशत
(ग) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन : कार्य के **"अनुमानित परियोजना लागत"** का 2–प्रतिशत
(घ) परियोजना निर्माण–परियोजना के निर्माण पर **"वास्तविक व्यय"** + उस पर 9–प्रतिशत की राशि (संविदा में जोड़ा कहा गया है)

(ii) ऐसे संविदा या व्यवस्था या लेनदेन का औचित्य :

कम्पनी ने छत्तीसगढ़ राज्य में उनके कार्यक्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए ईस्ट वेस्ट कोरिडोर परियोजना के कार्य–निष्पादन हेतु इरकॉन के साथ परियोजना कार्य निष्पादन अनुबंध किया है।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि :

सीईडब्लूआरएल बोर्ड ने दिनांक 05.04.2015 को आयोजित अपनी 5–वीं बैठक में इरकॉन के माध्यम से परियोजना के कार्य–निष्पादन हेतु अनुबंध करने का अनुमोदन प्रदान किया।

(iv) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो :

निरंक

(v) धारा 188 के प्रथम उपबंध के अधीन यथा–अपेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प–प्रस्ताव की तिथि :

प्रयोज्य नहीं।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएनः 06664375

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

अनुलग्नक– ।।।

फार्म सं.–एमजीटी–9

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के
वार्षिक प्रतिवेदन का सार
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

I.	सीआईएन	:	यू45203सीटी2013जीओआई000768
ii.	पंजीयन दिनांक	:	25.03.2013
iii.	कम्पनी का नाम	:	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	:	अंशपूंजी कम्पनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता व सम्पर्क विवरण	:	द्वितीय तल,सीएसआईडीसी कामर्शियल काम्पलैक्स, रायपुरा चौक,रायपुर–492013, (छत्तीसगढ़) ई–मेल आईडी : cerlcewrl@gmail.com दूरभाष सं.–0771–2242155 फैक्स 0771–2242154
vi.	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	:	नहीं
vii.	पंजीयक और हस्तांतरित अभिकर्ता, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो,	:	लागू नहीं

ii. कम्पनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप

कम्पनी के कुल उत्पादन का 10–प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान देने वाले समस्त व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाए :

स.क्रं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

iii. नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण–

स.क्रं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन	नियंत्रक/अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयर का प्रतिशत	प्रयोज्य खण्ड
1	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	यू10102सीटी1985 जीओआई1003161	नियंत्रक कम्पनी	71.02	2(46)

iv. शेयरहोल्डिंग पेटर्न (कुल इक्वीटी के प्रतिशत रूप में इक्वीटी शेयर केपिटल का ब्यौरा)

I. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
(अ) व्यक्तिगत / एचयूएफ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) केन्द्रीय सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(स) राज्य सरकार (रें)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(द) निकाय–निगम	कुछ नहीं	50000	50000	100%	कुछ नहीं	4055000	4055000	100%	कुछ नहीं
(च) बैंक / वित्तीय संस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(छ) कोई अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उप–योग (क) (1) :–	**कुछ नहीं**	**50000**	**50000**	**100%**	**कुछ नहीं**	**4055000**	**4055000**	**100%**	**कुछ नहीं**
(2) **विदेशी**									
(अ) एनआरआई–व्यक्तिगत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) अन्य व्यक्तिगत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(स) निकाय–निगम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(च) बैंक / वित्तीय संस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(छ) कोई अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उप–योग (क) (2) :–	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
प्रवर्तक की कुल शेयरहोल्डिंग (क) = (क) (1)+(क) (2)	**कुछ नहीं**	**50000**	**50000**	**100%**	**कुछ नहीं**	**4055000**	**4055000**	**100%**	**कुछ नहीं**

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(अ) म्यूचुअल फण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) बैंक/वित्तीय संस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(स) केन्द्रीय सरकार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(द) राज्य सरकार (रें)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(च) उद्यम पूंजी निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(छ) बीमा कम्पनियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ज) एफआईआई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(झ) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ट) अन्य (स्पष्ट करें)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उप–योग (ख) (1) :–	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
2. गैर–संस्थान									
(अ) निकाय–निगम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
i. भारतीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii.समुद्रपार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ब) व्यक्तिगत	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(i) हर–एक अंशधारक द्वारा रू. 1 लाख तक रखे गए नाममात्र के अंशपूंजी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) हर–एक अंशधारकों द्वारा रू. 1 लाख से अधिक के रखे गए नाममात्र के शेयर पूंजी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(स) अन्य (स्पष्ट करें)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उप–योग (ख) (2) :–	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के अभिरक्षा में रखे गए शेयर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
महायोग (क+ख+ग)	**कुछ नहीं**	**50000**	**50000**	**100%**	**कुछ नहीं**	**4055000**	**4055000**	**100%**	**कुछ नहीं**

(ii) प्रवर्तकों का शेयरहोल्डिंग

स. क्र.	अंशधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत तक शेयरहोल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से रेहन/ भारित शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से रेहन/ भारित शेयरों की प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन प्रतिशत
1	साउथ ईस्टर्न कोल–फील्ड्स लिमिटेड	32,000	64	कुछ नहीं	28,80,000	71.02	कुछ नहीं	10.97
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	13,000	26	कुछ नहीं	11,70,000	28.85	कुछ नहीं	9.88
3	सीएसआईडीसीएल	5,000	10	कुछ नहीं	5,000	0.13	कुछ नहीं	–98.7
	योग	**50,000**	**100**	**कुछ नहीं**	**40,55,000**	**100**	**कुछ नहीं**	

(iii) प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो)

स. क्र..		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	50,000	100	50,000	100
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	40,05,000	100
3	वर्ष की समाप्ति तक	50,000	50,000	40,55,000	100

(iv) शीर्षस्थ दस स्थान प्राप्त अंशधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर व एडीआर धारक के अलावा)

स.क्रं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयरहोल्डिंग	
	शीर्षस्थ दस स्थान प्राप्त प्रत्येक अंशधारकों हेतु	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारंभ में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	वर्ष की समाप्ति तक (या पृथकीकरण की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान पृथक–अलग हुए हों तो)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरहोल्डिंग

स. क्रं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयरहोल्डिंग	
1	प्रत्येक निदेशकों एवं केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
2	वर्ष के प्रारंभ में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में दिनांक–वार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	वर्ष की समाप्ति तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(V) ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्रोद्भूत ब्याज किंतु भुगतान के लिए देय नहीं है

	प्रतिभूति ऋण जिसमें जमा शामिल नहीं है	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल (i+ii+iii)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
– वृद्धि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
– कमी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल परिवर्तन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल (i+ii+iii)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(VI) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

स. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
1	सकल वेतन	——	——	——	——	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक का विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, स्पष्ट करें	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (क)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अधिनियम के अनुसार सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

स. कं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम									कुल राशि
	स्वतंत्र निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	–बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	–कमीशन										
	–अन्य, कृपया स्पष्ट करें										
	कुल (1)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य गैर–अधिकारी निदेशक	**श्री ए. पी. पंडा**	**श्री आर.पी. ठाकुर**	**डा. आर. एस.झा**	**श्री के.के. गर्ग**	**श्री संजय रस्तोगी**	**श्री सुनील मिश्रा**	**श्री देबराज पंडा**	**श्री ए.के. सिंह**	**श्री ए.पी. सिंह**	
	–बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	–कमीशन										
	–अन्य, कृपया स्पष्ट करें										
	कुल (2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) = (1+2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

स.कं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
		श्री विश्वजीत चौधरी (सीईओ)	श्री रजनीश नारायण (सीएफओ)	कुल
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	9,33,092.30	5,99,923.00	15,33,015.30
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	1,48,130.92	1,15,177.88	2,63,308.80
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक–विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, स्पष्ट करें	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं	 कुछ नहीं कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	10,81,223.22	7,15,100.88	17,96,324.10

(VII) अपराध का प्रशमन–सुलह/अर्थदण्ड–जुर्माना/दण्ड

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदण्ड/दण्ड का विवरण जिसके लिए शुल्क अधिरोपित किया गया	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील किया गया, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
अर्थदण्ड–जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रशमन–सुलह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ख. निदेशकगण					
अर्थदण्ड–जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रशमन–सुलह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ग. व्यतिक्रम – अन्य अधिकारी					
अर्थदण्ड–जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रशमन–सुलह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुलग्नक–IV

संख्या–46/सीए/एलए–1/एकाउंट्स/सीईडब्लू रेलवे/2014–15
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–।। कोलकाता
पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड
कोलकाता–700 020

14 मई, 2015

प्रति,

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड,
द्वितीय तल,
सीएसआईडीसी कामर्शियल काम्पलैक्स,
महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक,
रायपुर–492013 (छ0ग0)

विषय : 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड का कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) सहपठित धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,

मैं, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के लेखा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) सहपठित धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ अग्रेषित करता हूं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

हस्ताक्षर
(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड–।।
कोलकाता

दिनांक : 14.05.2015
कोलकाता

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) सहपठित धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे वेस्ट लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129 (4) सहपठित धारा 139(5) या 139(7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा करने संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) सहपठित धारा 143 (10) के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने हेतु जवाबदेह है। यह उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06.05.2015 के माध्यम से उनके द्वारा किया जाना उल्लिखित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और इस तरह मुझे अधिनियम की धारा 129 (4) सहपठित धारा 143(6) (बी) के अधीन कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

हस्ताक्षर
(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड–।।
कोलकाता

कोलकाता
दिनांक 14.05.2015

अनुलग्नक–V
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

प्रति,
सदस्यगण,
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड,
रायपुर–492013 (छ.ग.)

वित्तीय विवरणियों पर प्रतिवेदन

हमनें छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (''कम्पनी'') के संगत वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2015 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरणी व रोकड़ प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार व अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुपालन तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह के संबंध में सही व उचित मत प्रकट करता है । इस जिम्मेदारी में रूपरेखा (डिजाईन), कार्यान्वयन व वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखना भी शामिल है जो सही और उचित मत प्रकट करता है तथा जो भौतिक रूप में गलत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखावश या त्रुटिवश हुआ हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है । हमनें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षा करने संबंधी जारी मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया । इन मानकों की नीतिगत अपेक्षा होती है कि हम अपने लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन इस प्रकार पूरा करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक रूप में गलत विवरण से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनसे हम वित्तीय विवरणों में राशि दर्शाने तथा प्रकट करने के संबंध में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम जो लेखा प्रक्रियाएं अपनाते हैं वह लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भौतिक रूप में गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण, चाहे वह धोखावश अथवा भूलवश हो, शामिल होता है । लेखा परीक्षक, ऐसे जोखिम के निर्धारण के लिए कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में सुसंगत व सही प्रतिनिधित्व करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित लेखा प्रक्रिया अपनाने पर विचार करते हैं । लेखा परीक्षा में, उपयोग होने वाले लेखाकरण नीतियों का उपयुक्त/समुचित मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखाकरण आकलन की युक्तियुक्तता एवं वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी, शामिल है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमनें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया, वह लेखा परीक्षा में राय देने के लिए पर्याप्त एवं उचित है ।

विचार

हमारी राय व हमारी पूर्ण जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणियों में दी गई सूचना इस रूप में दी गई है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है तथा जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित मत प्रकट करता है ।

(क) तुलन पत्र के लिए 31 मार्च, 2015 तक के कम्पनी कार्य मामले हैं ।

(ख) लाभ और हानि विवरणी के लिए, उस तारीख को समाप्त वर्ष के हानि को लिया गया है ।

(ग) रोकड़ प्रवाह विवरणी के लिए, उस तारीख को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह को लिया गया है ।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

01. हम, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2015 (''आदेश'') के अपेक्षा अनुसार आदेश के पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरणी अनुलग्नक में देते हैं ।

02. अधिनियम की धारा 143 द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

(क) हमनें लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक था वह सारी सूचना एवं स्पष्टीकरण अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया ।

(ख) हमारी राय में, कम्पनी ने कानून द्वारा यथा–अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखा है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है ।

(ग) तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरणी और रोकड़ प्रवाह विवरणी जो इस प्रतिवेदन में व्यवहार में लाया गया है, वह लेखा पुस्तिका के अनुरूप है ।

(घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरणी, जो इस प्रतिवेदन में व्यवहार में लाया गया है, वह कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुपालन के अनुरूप है ।

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता0 / –
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं0–405675

स्थान : रायपुर
दिनांकः 06.05.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों के लिए हमारे प्रतिवेदन में संदर्भित अनुलग्नक, I हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

(I) (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण के साथ उचित अभिलेख बनाया है जिसमें स्थाई परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति दी गई है ।

(ख) प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जांच कम्पनी की नीति के अनुसार किया गया, जोकि कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप समुचित प्रतीत होता है। प्रबंधन द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार भौतिक रूप में कोई कमियां ध्यान में नहीं आई।

(ii) कंपनी की कोई सम्पत्ति–सूचीं नहीं है, अतः तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii)(ए),(बी) एवं (सी) का उपबंध कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है ।

(iii) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 189 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूति या अप्रतिभूति स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(ए) से (सी) के उपबंध कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है ।

(iv) स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीदी तथा सामानों व सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार व उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति है। वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई सम्पत्ति सूची नहीं है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, आन्तरिक नियंत्रण में कोई बड़ी कमियां नहीं देखी गई।

(v) कम्पनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित उपबंध व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कम्पनी ने कोई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अधीन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रख–रखाव वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अधीन प्रयोज्य नहीं है ।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि के देय का भुगतान वर्तमान में कम्पनी की ओर से प्रतिनियुक्त करने वाली कम्पनी अपने प्रतिनियुक्त किए गए स्टाफ के लिए करती है, अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सहयोगी कम्पनी अर्थात इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा समुचित प्राधिकारी के समक्ष नियमित रूप से किया जाता है। कम्पनी गैर–विवादित सांविधिक देय, जिसमें आय–कर, विक्रय–कर, सम्पत्ति–कर, सेवाकर, उत्पाद–शुल्क, सीमा–शुल्क, वैट, उपकर, प्रवेश कर तथा अन्य साविधिक देय शामिल है, उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है ।

(ख) 31 मार्च, 2015 को उपर्युक्त देय के संबंध में, भुगतान की तारीख से 6–माह से अधिक की अवधि का कोई गैर–विवादित राशि बकाया नहीं है।

(ग) निवेशक शिक्षा एवं बचाव–निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के उपबंध कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है ।

(viii) चूंकि कम्पनी को पंजीकृत हुए पांच वर्ष से कम समय हुआ है, अतः आदेश की धारा (अपपप) प्रयोज्य नहीं है ।

(ix) कम्पनी का तुलन प्त्र तारीख तक वित्तीय संस्थान या बैंक को भुगतान हेतु कोई देय बकाया नहीं है ।

(x) कम्पनी ने किसी अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए लोन हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xi) वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया गया ।

(xii) वर्ष के दौरान कम्पनी पर अथवा कम्पनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी का मामला कम्पनी की सूचना में या रिपोर्ट में नहीं आया है।

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं0–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं0–405675

स्थान : रायपुर
दिनांक: 06.05.2015

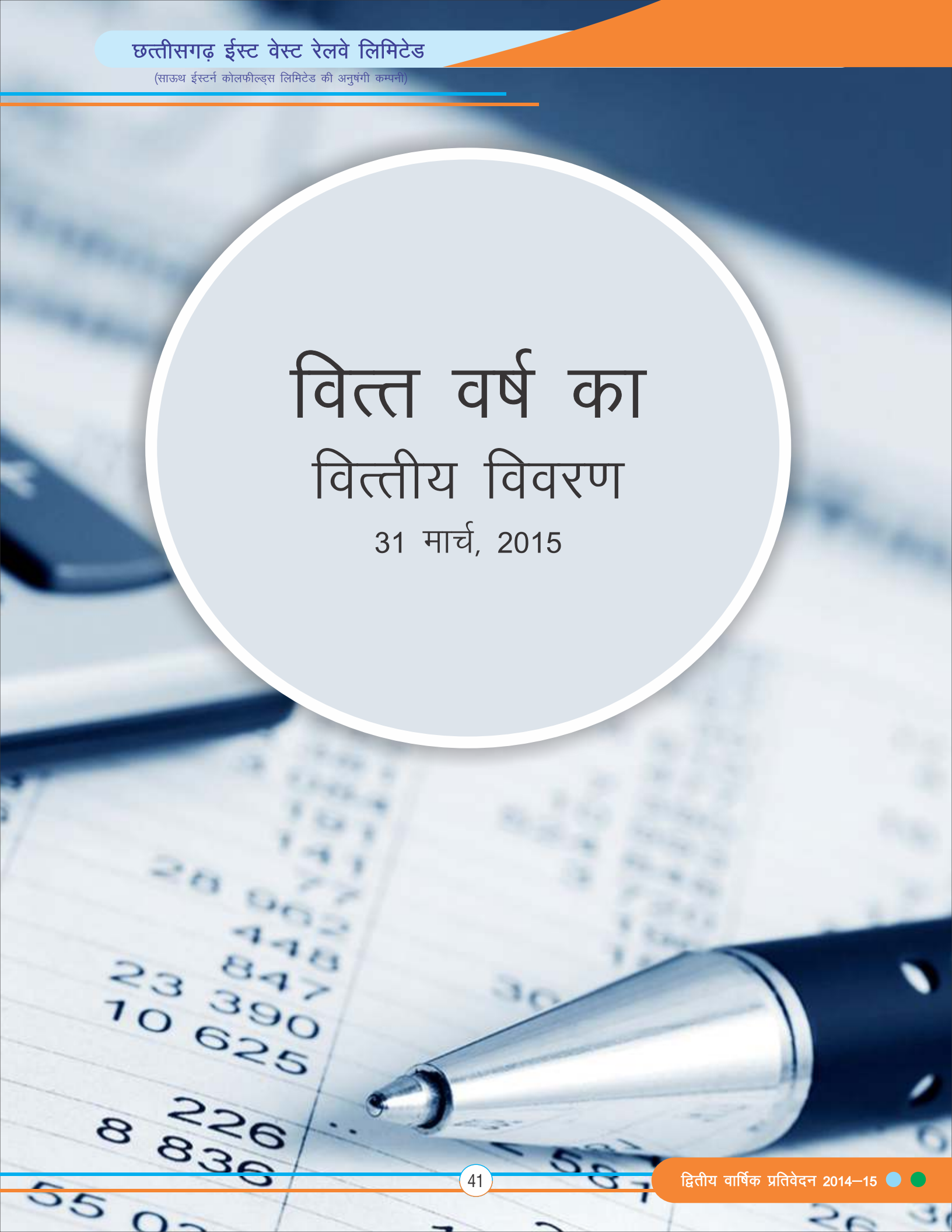

वित्त वर्ष का
वित्तीय विवरण
31 मार्च, 2015

31 मार्च, 2015 तक का तुलन पत्र

(आंकड़ा रू. में)

	टिप्पणी	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
1.इक्विटी एवं देयताएं :			
(I) अंशधारकों की निधि :			
(क) अंशपूंजी	1	4,05,50,000.00	5,00,000.00
(ख) संचय कोष और अधिशेष	2	(17,50,180.70)	(13,45,783.70)
(2) शेयर विनियोग राशि का लंबित आबंटन		–	–
(3) गैर–चालू देयताएं		–	–
(4) अल्प ब्याज		–	–
(5) चालू देयताएं			
(क) अन्य चालू देयताए	3	93,88,621.00	13,45,808.00
योग		**4,81,88,440.00**	**5,00,024.00**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) स्थाई परिसम्पत्तियां	4		
i. मूर्त परिसम्पत्ति–समग्र ब्लाक		1,48,88,190.00	–
घटाईए : मूल्यह्रास,कमी–हानि व उपबंध		4,74,728.00	–
निवल वहनीय मूल्य		1,44,13,462.00	–
ii. अमूर्त परिसम्पत्ति–समग्र ब्लाक		–	–
iii. प्रगतिशील कार्य में पूंजी		75,53,702.00	
(ख) गैर चालू निवेश		–	–
(ग) दीर्घकालिक ऋण व अग्रिम	5	2,47,47,529.00	–
(2) चालू परिसम्पत्तियां			
(क) नकद व अधिकोष शेष	6	13,36,359.00	5,00,024.00
(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	7	1,37,388.00	–
योग		**4,81,88,440.00**	**5,00,024.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां	11 एवं 12		

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि का लाभ और हानि विवरण

(आंकड़ा रू. में)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	25.03.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए
आय			
I. संचालन से राजस्व		–	–
II. अन्य आय	8	2,40,213.00	–
III. **कुल राजस्व (I+ II)**		**2,40,213.00**	**–**
IV. **व्यय**			
1.कर्मचारी हित व्यय	9	–	1,53,352.70
2.अन्य व्यय	10	6,44,610.00	11,92,431.00
कुल व्यय		**6,44,610.00**	**13,45,783.70**
V. कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		**(4,04,397.00)**	**(13,45,783.70)**
VI. घटाईए : कर व्यय		**–**	**–**
VII. अवधि के लिए लाभ/(हानि) (V-VII)		**(4,04,397.00)**	**(13,45,783.70)**
VII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
मूल एवं तरलीकृत		(0.12)	(26.92)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (रू.10/– प्रति अंकित मूल्य)		32,43,027	50,000
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एव लेखा पर टिप्पणियां			
	11 एवं 12		

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष पद्धति)

(आंकड़ा रू . में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	25.03.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि हेतु
(क) संचालन संबंधी कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :		
कर पूर्व निवल लाभ	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
चालू/गैर–चालू परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के पूर्व संचालन लाभ	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
समायोजन :		
ब्याज से आय	2,31,104.00	–
स्थाई परिसम्पत्तियों की हानि एवं अवमूल्यन	4,74,728.00	–
चालू/गैर–चालू परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के पूर्व संचालित लाभ	(1,60,773.00)	(13,45,784.00)
अल्पकालिक/दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसम्पत्तियां	2,48,84,917.00	–
अल्पकालिक/दीर्घकालिक देयताएं एवं उपबंध	80,42,813.00	13,45,808.00
संचालन से रोकड़ की उत्पत्ति	(1,70,02,877.00)	24.00
संचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(1,70,02,877.00)**	**24.00**
(ख) निवेशित कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :		
कार्यालय भवन का अधिग्रहण	(1,29,62,688)	–
फर्नीचर एवं फिक्सर का अधिग्रहण	(19,25,502)	–
पूंजीगत कार्य में प्रगति	(75,53,702)	–
सीएलटीडी लेखा से प्राप्त ब्याज	2,31,104	–
निवेशित कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	**(2,22,10,788)**	**–**
वित्त संबंधी कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह :		
अंशपूंजी के जारी होने से आगम	4,00,50,000	5,00,000.00
वित्त संबंधी कार्यकलापों में उपयोग में लाया गया निवल रोकड़	**4,00,50,000**	**5,00,000.00**
नकद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	8,36,335.00	5,00,024.00
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	5,00,024.00	–
अवधि की समाप्ति तक नकद और नकद समकक्ष	13,36,359.00	5,00,024.00
कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े निकास (आउटफ्लो) दर्शाते हैं ।		

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375
कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06 .05.2015
स्थान : रायपुर

तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–।

(आंकड़ा रूपए में)

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
अंशपूंजी		
अधिकृत पूंजी :		
रू. 10/– प्रत्येक का 50,00,000 इक्वीटी शेयर (पिछले वर्ष 50,00,000)	5,00,00,000.00	5,00,00,000.00
निगर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी :		
रू. 10/– प्रत्येक का पूर्णतः प्रदत्त 40,55,000 इक्वीटी शेयर (पिछले वर्ष 50,000)	4,05,50,000.00	5,00,000.00
योग	**4,05,50,000.00**	**5,00,000.00**

(क) प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ एवं अंत में शेष शेयरों का मिलान

विवरण	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	शेयरों की संख्या	अंशपूंजी (रू.)	शेयरों की संख्या	अंशपूंजी (रू.)
अवधि के प्रारंभ में शेष	50,000	5,00,000.00	–	–
अवधि के दौरान जारी	40,05,000	4,00,50,000.00	50,000	5,00,000.00
अवधि के अंत में शेष	40,55,000	4,05,50,000.00	50,000	5,00,000.00

(ख) इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध शर्तें/अधिकार

कम्पनी का केवल एक श्रेणी का इक्वीटी शेयर है, जिसका मूल्य रू. 10.00 प्रतिशेयर है । इक्वीटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रतिशेयर एक मत देने का अधिकार है ।

(ग) अंशधारकों का विवरण, जो कम्पनी में 5–प्रतिशत शेयर से अधिक रखे हुए हैं :

अंशधारक का नाम	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	रखे शेयरों की संख्या	कुल अंशपूंजी का प्रतिशत	रखे शेयरों की संख्या	कुल अंशपूंजी का प्रतिशत
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसके नामिनी (नियंत्रक कम्पनी)	28,80,000	71.02 प्रतिशत	32,000	64.00 प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	11,70,000	28.85 प्रतिशत	13,000	26.00 प्रतिशत
सीएसआईडीसीएल (छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिनिधि)	–	–	5,000	10.00 प्रतिशत

(I) दिनांक 03.11.2012 को छत्तीसगढ़ शासन, एसईसीएल एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की धारा–3 के अनुसार, संयुक्त उद्यम कम्पनी में छत्तीसगढ़ शासन का इक्वीटी शेयर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि के मूल्य के समरूप या 10–प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगा । चूंकि, अभी तक कोई भूमि नहीं उपलब्ध कराई गई है, अतः राज्य सरकार (सीएसआईडीसीएल द्वारा प्रतिनिधित्व) के इक्वीटी का मूल्य तुलन पत्र तारीख पर केवल 0.13 प्रतिशत है ।

(ii) अवधि के दौरान एसईसीएल एवं इरकॉन को क्रमशः उनके 64–प्रतिशत एवं 26–प्रतिशत के शेयर होल्डिंग अनुपात में निजी प्लेसमेंट आधार पर 40,05,000–संख्या में इक्वीटी शेयर जारी किए गए थे । शेयर पूर्णतः अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त है। सीएसआईडीसीएल का इक्वीटी योगदान प्राप्त होने वाली भूमि के लागत के रूप में होगा ।

तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–2

(आंकड़ा रू. में)

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
संचित कोष और अधिशेष		
लाभ और हानि लेखा के विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	(13,45,783.70)	–
अवधि के दौरान कर पश्चात लाभ / (हानि)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
योग	**(17,50,180.70)**	**(13,45,784.00)**

टिप्पणी–3

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
अन्य चालू देयताएं		
अन्य देय योग्य :		
(क) व्यय हेतु :		
परामर्शता प्रभार	30,708.00	11,236.00
किराया वाहन प्रभार	61,358.00	14,693.00
कार्यालय आकस्मिक व्यय	–	3,000.00
मुद्रण व्यय	14,424.00	–
कार्यालय एवं वर्कशाप मरम्मत एवं अनुरक्षण	14,090.00	–
बिजली प्रभार	4,330.00	–
लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय हेतु उपबंध	25,590.00	42,135.00
	1,50,500.00	**71,064.00**
(ख) अन्य :		
स्रोत पर काटा गया आयकर	48,925.00	–
सेवाकर	–	–
ठेकेदारों एवं अन्य से जमा	64,930.00	–
अन्य देयताएं	91,24,265.66	12,74,743.70
	92,38,120.66	**12,74,743.70**
योग	**93,88,620.66**	**13,45,807.70**

टिप्पणियां :

(i) कम्पनी की ओर से एसईसीएल (नियंत्रक कम्पनी) द्वारा किए गए व्यय से सम्बद्ध रू. 50,15,028.16 की अन्य देयताएं ।

(ii) कम्पनी की ओर से इरकॉन द्वारा किए गए व्यय से सम्बद्ध रू. 41,09,237.50 की अन्य देयताएं ।

तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–4ए

स्थाई परिसम्पत्तियां

(आंकड़ा रू. में)

समग्र ब्लाक					अवमूल्यन				कमी–हानि					चलित–वहनीय मूल्य	
विवरण	01.04.14 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन / बिक्री / अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन / बिक्री / अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	वर्ष के दौरान परि–वर्धन	अवधि के दौरान समायोजन / बिक्री / अंतरण	31.03.2015 को	कुल मूल्यह्रास व कमी–हानि	31.03.2015 को	31.03.2014 को
मूर्त परिसम्पत्तियां															
भवन / जल आपूर्ति / सड़क व पुलिया (पट्टा के अधीन अधिग्रहित)	–	1,29,62,688.00	–	1,29,62,688.00	–	2,97,135.00	–	2,97,135.00	–	–	–	–	–	1,26,65,553.00	–
फर्नीचर व फिक्चर / कार्यालय सामग्री व उपकरण	–	19,25,502.00	–	19,25,502.00	–	1,77,593.00	–	1,77,593.00	–	–	–	–	–	17,47,909.00	–
कुल	–	1,48,88,190.00	–	1,48,88,190.00	–	4,74,728.00	–	4,74,728.00	–	–	–	–	–	1,44,13,462.00	–
मूर्त परिसम्पत्तियां (31.03.14 को)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

कम्पनी ने दिनांक 05.04.2013 एवं 06.01.2014 को क्रमशः आयोजित निदेशक मण्डल की प्रथम एवं चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के तहत इक्विटी लागत शेयरिंग आधार पर छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से 30–वर्षों की अवधि के लिए सीएसआईडीसीएल से पट्टे पर कार्यालय भवन की लागत को शेयर करते हुए लिया है । इसलिए, भवन का परिशोधन 30–वर्षों की कार्यशील जीवन अवधि पर विचार करते हुए किया गया है।

तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–4बी

पूंजीगत कार्य में प्रगति

(आंकड़ा रू. में)

विवरण	लागत				उपबंध				कमी–हानि					चलित–वहनीय मूल्य	
	01.04.14 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समा–योजन / बिक्री / अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	वर्ष के दौरान परि–वर्धन	अवधि के दौरान समायोजन / बिक्री / अंतरण	31.03.15 को	01.04.14 को	वर्ष के दौरान परि–वर्धन	अवधि के दौरान समायोज / बिक्री / अंतरण	31.03.2015 को	कुल मूल्य ह्रास व कमी–हानि	31.03.2015 को	31.03.2014 को
पूंजीगत कार्य में प्रगति															
विकास–राजस्व व्यय	–	75,53,701.96	–	75,53,701.96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,53,701.96	–
कुल	–	75,53,701.96	–	75,53,701.96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75,53,701.96	–
पूंजीगत कार्य में प्रगति (31.03.14 को	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

टिप्पणी :

01. वर्ष के दौरान रू. 75,53,701.96 के हुए राजस्व व्यय की राशि को परियोजना लागत में लिया गया एवं तदनुसार प्रयोज्य लेखाकरण मानक के अनुसार पूंजीकृत किया गया तथा इसे पूंजीगत कार्य में प्रगति के अधीन दर्शाया गया है । पूंजीगत कार्य में प्रगति का ब्यौरा लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियों की टिप्पणी 12.3 में विस्तृत रूप में दी गयी है ।

तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–5

(आंकड़ा रूपए में)

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		
अग्रिम		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को अग्रिम –	2,40,00,000.00	–
अन्य अग्रिम	3,41,975.00	–
प्रतिभूति जमा		
– अप्रतिभूति उचित समझा गया	3,81,099.00	–
(क)	2,47,23,074.00	–
पीएंडटी, बिजली आदि के लिए जमा (1)		
– अप्रतिभूति उचित समझा गया	24,455.00	–
(ख)	24,455.00	–
कुल	**2,47,47,529.00**	–

1. अनुषंगी कम्पनी एवं उसकी अन्य अनुषंगी कम्पनियों के साथ लेनदेन–संव्यवहार डेबिट/केडिट मेमो के आधार पर किया जाता है ।

2. नियंत्रक कम्पनी की अन्य अनुषंगी कम्पनियों के साथ लेनदेन–संव्यवहार बिना ब्याज के किया जाता है।

3. कम्पनी ने ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर के विकास के लिए दिनांक 05.04.2014 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ परियोजना निष्पादन अनुबंध–करार निष्पादित किया है, तथा तदनुसार रू. 2,40,00,000.00 अग्रिम दिया है । सुपुर्दगी के योग्य चरणवार पूरा होने पर तथा अनुलग्नक–ए में यथा निर्दिष्ट परियोजना निष्पादन अनुबंध–करार की शर्त के अधीन कम्पनी द्वारा इसे स्वीकृत करने पर, देयता यदि कोई हो तो, उसे माना जाएगा एवं गणना किया जाएगा ।

4.

	चालू अवधि	पूर्व अवधि
कम्पनी द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक भी निदेशक/सदस्य हैं	3,81,099.00	कुछ नहीं
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक इच्छुक हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5. सीएसआईडीसीएल से किराया भवन के पट्टे के संबंध में प्रतिभूति जमा से संबंधित राशि रू.3,81,099.00 है।

टिप्पणी–6

विवरण	31·03·2015 तक	31·03·2014 तक
नकद एवं अधिकोष शेष		
नकद एवं नकद–समकक्ष		
अधिसूचित बैंकों में शेष		
– चालू खाता में	13,36,359.00	4,99,900.00
– स्वयं के पास नकद	–	124.00
कुल	**13,36,359.00**	**5,00,024.00**

तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी–7

(आंकड़ा रूपए में)

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
अग्रिम		
(नकदी या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य)	–	–
साविधिक देय का अग्रिम भुगतान		
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर	29,399.00	–
पट्टा किराया के लिए पूर्व प्रदत्त व्यय	1,07,989.00	–
कुल	**1,37,388.00**	**–**

कम्पनी द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक भी निदेशक/सदस्य हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक इच्छुक हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

लाभ–हानि के विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी–8

(आंकड़ा रूपए में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	25.03.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए
अन्य आय		
अन्य से आय		
ब्याज (समग्र) :	–	–
बैंक में जमा से	2,31,104.00	–
प्रतिलेखन देयताएं (राईट बैक)	9.109.00	–
योग	**2,40,213.00**	**–**

टिप्पणी–9

कर्मचारी हित व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस एवं सुविधाएं	–	1,38,121.20
पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान	–	15,231.50
योग	–	**1,53,352.70**

टिप्पणी–10

अन्य व्यय		
टेलीफोन एवं पोस्टेज	–	2,706.00
परामर्शता–प्रभार	1,46,068.00	1,71,071.00
विधिक–कानून प्रभार	18,079.00	11,618.00
पुस्तक एवं आवधिक पत्रिका	4,244.00	–
कार का किराया प्रभार	–	1,33,615.00
लेखन सामग्री	–	98,872.00
कार्यालय आकस्मिक व्यय	89,997.00	38,647.00
बैठक व्यय	2,59,518.00	1,14,245.00
बैंक प्रभार	479.00	100.00
गैर–अधिकारी कर्मचारी यात्रा व्यय	–	39,147.00
मुद्रण एवं कम्प्यूटर लेखन सामग्री	780.00	–
प्रकाशन व्यय	78,000.00	–
विविध व्यय (प्रारंभिक व्यय बटटे खाते में डाले गये)	–	5,40,275.00
भुगतान पूर्णांकित करना (राउण्ड ऑफ)	1.00	–
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिये	44,944.00	28,090.00
पाकेट व्यय हेतु	2,500.00	14,045.00
योग	**6,44,610.00**	**11,92,431.00**

टिप्पणी–11

निगमित सूचना

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) (''कम्पनी'') का निगमन ईस्ट वेस्ट रेल कोरिडोर (कोरिडोर–।।।) की रचना, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण करने तथा अपेक्षित रेल अवसंरचना का विकास करने के उददेश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिनांक 03 नवम्बर, 2012 के निष्पादन के बाद साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में दिनांक 25 मार्च, 2013 को हुआ। संयुक्त उद्यम भागीदारों के मध्य हुए समझौता–ज्ञापन के अनुसार, प्रवर्तक कम्पनियों का शेयर होल्डिंग अनुपात, एसईसीएल का 64–प्रतिशत, इरकॉन का 26–प्रतिशत तथा सीएसआईडीसी का 10–प्रतिशत है।

कम्पनी ने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिनांक 7 मई, 2013 को प्राप्त किया तथा इसका राजस्व संचालन अभी प्रारंभ किया जाना है ।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

11.1 तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, सामान्य रूप में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों तथा प्रयोज्य लेखाकरण मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथा के अधीन तैयार किया गया है ।

11.2 लेखाकरण का आधार :

समस्त व्यय और आय लेखा के कार्यकारी–संचालनीय शीर्ष में दर्ज किए जाते हैं ।

11.3 आय और व्यय की मान्यता :

राजस्व/आय और लागत/व्यय उनके अर्जन व व्यय के अनुसार सामान्यतः प्रौद्भूत आधार पर मान्य किये जाते है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिये उपबंध किये जाते हैं।

11.4 अनुमान का उपयोग :

सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरिणों को तैयार करने में कभी–कभी आंकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणी की तिथि में परिसम्पत्ति एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदन अवधि के दौरान राजस्व व व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम एवं अनुमान के मध्य भिन्नता को उस अवधि में माना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात हुए/व्यवहृत हुए ।

11.5 उपबंध, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

मापन में अनुमान के सारभूत डिग्री का प्रावधान तब मान्य होता है, जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता–दायित्व हुआ हो तथा यह संभव है कि संसाधन का बाह्य प्रवाह हुआ हो । आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दिया जाता है, तथापि उसे टिप्पणी में प्रकट किया जाता है ।

आकस्मिक परिसम्पत्तियां न तो मान्य की जाती हैं और न ही वित्तीय विवरणी में प्रकट की जाती है ।

11.6 राजस्व की मान्यता :

चूंकि कम्पनी रूढ़िवादिता के आधार पर तथा एएस–9 के अनुसार अभी भी संचालन पूर्व के स्तर पर है तथा तुलन पत्र की तारीख को निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, अतः राजस्व को मान्यता परियोजना पर कम्पनी द्वारा व्यय की गई संबंधित लागत की सीमा तक दी गई है तथा परिणामस्वरूप कोई मार्जिन मान्य नहीं की गई है।

11.7 संचालन पूर्व व्यय :

वर्ष के दौरान हुए अप्रत्यक्ष व्यय तथा परियोजना से असम्बद्ध लागत को एएस–26 के उपबंधों के अनुसार लाभ व हानि विवरणी में डेबिट किया गया है।

11.8 स्थाई परिसम्पत्तियां :

(I) स्थाई परिसम्पत्तियों का समग्र ब्लॉक अधिग्रहण या निर्माण के लागत मूल्य में दर्शाया जाता है, जिसमें, उनके वांछनीय उपयोग के लिए उनके कार्य स्थिति तक परिसम्पत्तियों के लाए जाने के परिणामस्वरूप आई कोई भी लागत, परियोजना की भूमि को छोड़कर, शामिल है।

(ii) परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण, भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन भारतीय रेलवे के पक्ष में किया जा रहा है। भूमि की लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी, जोकि भारतीय रेलवे के पास बिना ब्याज भुगतान के वापसी योग्य जमा के रूप में रहेगा।

11.9 पूंजीगत कार्य में प्रगति :

परियोजना से संबंधित समस्त व्यय यथा– सिविल कार्य, उत्थापनाधीन मशीनरी, निर्माण एवं निर्माण–उत्थापन सामग्री, संचालन पूर्व व्यय, परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय तथा आकस्मिक–प्रासंगिक–गौण से लेकर परियोजना के स्थापित होने तक हित–लाभ, वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की उधार–ऋण लागत, तथा प्राथमिक परीक्षण व्यय को पूंजी कार्य में प्रगति के अधीन दर्शाया गया है। ये व्यय परियोजना विशेष अधिशेष निधि से वसूली एवं आय (कर का निवल) का निवल होता है।

11.10 अवमूल्यन / परिशोधन :

स्थाई परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन स्ट्रेट लाईन पद्धति में करने का प्रावधान है । जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के भाग ''सी'' के अनुसार विनिर्दिष्ट रूप में होता है तथा यह परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए तैयार होने की माह से आनुपातिक आधार पर, भवन को छोड़कर, होता है, जिसे 30–वर्ष की पट्टा–अवधि से अवमूल्यित किया गया है ।

11.11 नकद प्रवाह विवरण :

एएस–3 के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाह (कैश–फ्लो) को दर्शाया गया है। कम्पनी के संचालन, निवेश तथा वित्तीय कार्यकलापों से हुए नकद प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर अलग–अलग दर्शाया गया है।

11.12 प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा इक्विटी अंशधारकों को प्रदान करने के फलस्वरूप उस अवधि में हुए निवल लाभ या हानि को विभाजित करते हुए की जाती है । अवधि के दौरान बोनस इशु की स्थिति के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन मौजूदा अंशधारकों को दिए जाने वाले राईट–इशु के अंतर्गत बोनस अंश में किया जाता है ।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी अंशधारकों को प्रदान करने के फलस्वरूप वर्ष के दौरान निवल लाभ या हानि तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन समस्त तनुकृत पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए किया जाता है ।

11.13 नकद और नकद समकक्ष :

नकद एवं बैंक शेष के अंतर्गत बैंक में नकद, हांथ में नकद, डिमाण्ड जमा और तुलन पत्र तारीख से 12–माह तक की परिपक्वता अवधि के साथ बैंक में जमा समाविष्ट है।

नकद प्रवाह विवरण के उददेश्य के लिए, नकद एवं नकद समकक्ष में नकद एवं बैंक शेष, हांथ में चैक तथा बैंक ओव्हरड्राफ्ट का निवल डिमाण्ड डिपाजिट निहित होता है।

11.14 चालू एवं आस्थगित कर का उपबंध :

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन स्वीकार्ययोग्य हित–लाभ में विचार करने के बाद चालू कर का उपबंध किया जाता है । आस्थगित कर समय भिन्नता के प्रभाव के कारण कर–परिकलन द्वारा लेखाकृत होता है, जोकि वर्ष के दौरान हुआ हो। आस्थगित कर देयता की गणना प्रयोज्य कर दर तथा कर कानूनों द्वारा की जाती है जो तुलन पत्र तारीख तक अधिनियमित हो ।

11.15 कर्मचारी हित :

(I) अंशकालिक कर्मचारी हित को वर्ष के दौरान गैर–छूट राशि में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कि संबंधित सेवाएं दी गई है ।

(ii) रोजगार–पश्चात एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हित को वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कि कर्मचारी ने सेवाएं दी है । राशि जो प्रभारित की गई है, वह बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य तक मान्य की जाती है । रोजगार पश्चात एवं दीर्घकालिक हित–लाभ के संबंध में बीमांकिक लाभ एवं हानि को लाभ–हानि लेखा / परियोजना विकास व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है ।

11.16 पूर्व अवधि समायोजन तथा असाधारण मदें :

पूर्व अवधि तथा पूर्वदत्त व्यय से संबंधित आय / व्यय, जो प्रत्येक मामले में रू. 10,00,000.00 से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

11.17 ऋण–लागत :

(i) कारोबार के साधारण अनुक्रम में ऋण लागत को व्यय के रूप में उस अवधि में माना जाता है, जिस अवधि में यह हुआ है ।

(ii) ऋण लागत जोकि प्रत्यक्षतः अधिग्रहण, निर्माण या अभियोग्य परिसम्पत्ति के उत्पादन के परिणामस्वरूप हुआ है, उसे परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है ।

टिप्पणी–12

लेखा की अतिरिक्त टिप्पणियां

12.1 एसईसीएल, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य दिनांक 03.11.2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का संयुक्त उद्यम कम्पनी में इक्विटी शेयर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन के मूल्य के समरूप या 10–प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा। चूंकि, कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए, राज्य शासन (सीएसआईडीसीएल द्वारा प्रतिनिधित्व) के इक्विटी का मूल्य तुलन पत्र को केवल 0.13–प्रतिशत है।

12.2 आकस्मिक देयता एवं प्रतिबद्धता (उपलब्ध न कराए जाने की सीमा तक)

(क) दिनांक 31.03.2015 को कम्पनी के विरूद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किया गया दावा : रू. शून्य ।

(ख) प्रतिबद्धता :–

(i) पूंजीगत लेखा पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदा की अनुमानित राशि तथा लेखा में नहीं ली गई राशि : रू. शून्य है ।

(ii) राजस्व लेखा पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि तथा लेखा में नहीं ली गई राशि : रू. शून्य है ।

12.3 वर्ष के दौरान राजस्व व्यय के रूप में व्यय हुई राशि रू. 75,53,701.96 जिसे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लिया गया है, को प्रयोज्य लेखाकरण मानक के अनुसार पूंजीकृत किया गया है, तथा उसे पूंजीगत कार्य में प्रगति के अधीन दर्शाया गया है, जो नीचे दर्शित है :–

स.क्रं	विवरण	राशि (रू.)
1	वेतन एवं मजदूरी	50,66,328.46
2	भविष्य निधि में अंशदान	3,24,377.50
3	यात्रा संबंधी व्यय	3,70,521.50
4	किराया, कर और कार्यालय अनुरक्षण व्यय	4,19,162.00
5	अवमूल्यन एवं परिशोधन	4,74,728.00
6	अन्य व्यय	8,98,584.00
	कुल	**75,53,701.96**

ऐसे सभी अन्य व्यय,जोकि प्रशासनिक स्वरूप के हैं तथा जो परियोजना के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया गया है ।

12.4 पूर्व अवधि समायोजन :

रू. 7,58,425.50 की राशि जोकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है, को उपरोक्त टिप्पणी सं.–12.3 में यथा–प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है ।

12.5 कम्पनी के कोई भी कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) सहपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5 के अधीन उद्धृत सीमा के बाहर / से अधिक पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते थे ।

12.6 सेवानिवृत्ति लाभ :

छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड की प्रवर्तक कम्पनियां अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने स्टॉफ को एसईसीएल, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य दिनांक 03.11.2012 को हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के खण्डवाक्य–16 के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी में प्रतिनियुक्त किया है। सेवानिवृत्ति लाभ के आनुपातिक शेयर का उपबंध कम्पनी की बही में नहीं किया गया है, तथापि, इसका उपबंध एएस–15 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिनियुक्त करने वाली संबंधित कम्पनी द्वारा अनुपालन के अधीन होगा ।

12.7 रू. 2,90,78,592.00 की सीमा तक कतिपय व्यय, जिसे कम्पनी की ओर से संयुक्त रूप में छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) द्वारा वहन किया गया है, को दिनांक 05.04.2013 को निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत समान रूप में विभाजित (शेयर) किया गया है। इसी तरह,रू. 5,58,784.00 की सीमा तक कुछ व्यय, जिसे कम्पनी की ओर से संयुक्त रूप में सीईआरएल द्वारा वहन किया गया है, उसे सीईआरएल को आबंटित किया गया है तथा इसकी प्रतिपूर्ति, दिनांक 05.04.2013 को निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत सीईआरएल द्वारा किया गया है ।

12.8 संबंद्ध पार्टी प्रकटीकरण (एएस–18) :

अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ सम्बद्ध पार्टी सम्बंध के विषय में राज्य नियंत्रित उद्यम को दी गई छूट तथा ऐसे उद्यमों के साथ संव्यवहार–लेनदेन को ध्यान में रखते हुए, सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण पर लेखाकरण मानक (एएस–18) के अधीन ऐसा कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है ।

12.9 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :

स.क्रं.	इक्विटी अंशधारकों के लिए उपलब्ध लाभ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क)	कर पश्चात लाभ/(हानि) (रू .)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
	इक्विटी शेयरों की संख्या	4055000	50000
(ख)	भारित औसत इक्विटी शेयरों की शेष संख्या	3243027	50000
(ग)	प्रति शेयर मूल/तनुकृत अर्जन (क/ख) (रू.)	(0.12)	(26.92)
	इक्विटी शेयर का अंश/नाममात्र मूल्य (रू.)	10.00	10.00

12.10 पिछले वर्ष के आंकड़े :

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, चालू वर्ष के आंकड़े से तुलना के उद्देश्य से पुनर्गठित एवं पुनर्नियोजित किये गये है ।

12.11 लेखाकरण नीति में परिवर्तन का प्रभाव : कुछ नहीं

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

धारा–41 का अनुलग्नक–1

31.03.2015 को समाप्त तिमाही, 31.12.2014 को समाप्त तिमाही, 31.03.2014 को समाप्त तिमाही, 31.03.2015 को समाप्त वर्ष, 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये गैर–लेखा परीक्षित/लेखा परीक्षित परिणामों की विवरणी

भाग– I

(आंकड़ा रू.में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त तिमाही हेतु	31.12.2014 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2014 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
		गैर–लेखा परीक्षित	गैर–लेखा परीक्षित	गैर–लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	**संचालन से आय**					
	(क) कोयले के परिवहन से राजस्व	-	-	-	-	-
	(ख) यात्री सेवाओं से राजस्व	-	-	-	-	-
	(ग) अन्य संचालन से आय	-	-	-	-	-
	संचालन से कुल आय (निवल)	-	-	-	-	-
2	**संचालन संबंधी व्यय**					
	(क) विक्रय एवं विपणन व्यय	-	-	-	-	-
	(ख) प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-
	(ग) कर्मचारी हित व्यय	-	-	1,53,353.00	-	1,53,353.00
	गैर–संचालन संबंधी व्यय	-	-	-	-	-
	(घ) अन्य व्यय	1,49,609.00	66,080.74	3,26,971.00	6,44,610.00	11,92,431.00
	कुल व्यय	**1,49,609.00**	**66,080.74**	**4,80,324.00**	**6,44,610.00**	**(13,45,784.00)**
3	अन्य आय, वित्त लागत एवं अपवादित मदों के पूर्व संचालन से लाभ (हानि) (1–2)	(1,49,609.00)	(66,080.74)	(4,80,324.00)	(6,44,610.00)	(13,45,784.00)
4	अन्य आय	35,301.00	57,548.00	-	2,40,213.00	-
5	वित्त लागत एवं अपवादिक मदों के पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
6	वित्त लागत	-	-	-	-	-
7	वित्त लागत के पश्चात किंतु अपवादित मदों के पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ/(हानि) (5–6)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
8	अपवादित मदें	-	-	-	-	-
9	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (+)/हानि (–) (7+8)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
10	कर व्यय	-	-	-	-	-
11	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निवल लाभ/हानि (9–10)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
12	असाधारण मदें	-	-	-	-	-
13	अवधि के लिये निवल लाभ (+)/हानि(–) (11+12)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
14	एसोसिएट्स के लाभ/हानि के शेयर	-	-	-	-	-
15	न्यून ब्याज *	-	-	-	-	-

धारा–41 का अनुलग्नक–1

16	कर, न्यून ब्याज एवं एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (13+14+15)	(1,14,308.00)	(8,532.74)	(4,80,324.00)	(4,04,397.00)	(13,45,784.00)
17	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (पूर्णतः प्रदत्त प्रति शेयर रू. 10 अंकित मूल्य का 4055000 इक्विटी शेयर)	40550000.00	40550000.00	5,00,000.00	40550000.00	5,00,000.00
18	पिछले लेखाकरण वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर संचय	–	–	–	–	–
19. i	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (असाधारण मदों के पूर्व) (प्रत्येक रू0–– जिसका वार्षिकी नहीं किया गया है)					
	(क) मूल	–	–	–	–	–
	(ख) तनुकृत ईपीएस	–	–	–	–	–
19. ii	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद)(प्रत्येक रू.10.00 जिसका वार्षिकी नहीं किया गया है)					
	(क) मूल	(0.04)	(0.00)	(9.61)	(0.12)	(26.92)
	(ख) तनुकृत ईपीएस	(0.04)	(0.00)	(9.61)	(0.12)	(26.92)

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

धारा–41 का अनुलग्नक–1

भाग– ।।

31.03.2015 को समाप्त तिमाही, 31.12.2014 को समाप्त तिमाही, 31.03.2014 को समाप्त तिमाही, 31.03.2015 को समाप्त वर्ष, 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये गैर–लेखा परीक्षित/लेखा परीक्षित परिणामों की विवरणी

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त तिमाही हेतु	31.12.2014 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2014 को समाप्त तिमाही हेतु	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु
		गैर–लेखा परीक्षित	गैर–लेखा परीक्षित	गैर–लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
क	**शेयर होल्डिंग का विवरण**					
1	पब्लिक शेयरहोल्डिंग					
	– शेयरों की संख्या	–	–	–	–	–
	– शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	–	–	–	–	–
	(क) बंधक/भारित					
	– शेयरों की संख्या	–	–	–	–	–
	–शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक ग्रुप के कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	–	–	–	–	–
	–शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी के कुल अंश पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	–	–	–	–	–
	(ख) गैर–भारित					
	– शेयरों की संख्या	4055000	4055000	50000	4055000	50000
	–शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक ग्रुप के कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	– शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी के कुल अंश पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	–	–	–	–	–

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त तिमाही के लिये
ख	**निवेशक–शिकायतें**	
	तिमाही के प्रारंभ में लंबित	लागू नहीं
	तिमाही के दौरान प्राप्त	लागू नहीं
	तिमाही के दौरान निपटाया गया	लागू नहीं
	तिमाही की समाप्ति तक गैर सुलझे हुए शेष	लागू नहीं

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

धारा–41 का अनुलग्नक–IX
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

(आंकड़ा रू. में)

	विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
क	इक्विटी एवं देयताएं		
1	अंशधारकों की निधि		
	(क) अंश पूंजी	4,05,50,000.00	5,00,000.00
	(ख) संचित कोष एवं अधिशेष	(17,50,181.00)	(13,45,784.00)
	(ग) शेयर वारंट के विरूद्ध प्राप्त राशि	–	–
	उप–योग–अंशधारकों की निधि	**3,87,99,819.00**	**(8,45,784.00)**
2	शेयर विनियोग राशि,जिसका आबंटन लंबित है	–	–
3	न्यून ब्याज	–	–
4	गैर–चालू देयताएं		
	(क) दीर्घकालिक ऋण–उधार	–	–
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	–	–
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	–	–
	(घ) दीर्घकालिक उपबंध	–	–
	उप–योग–गैर–चालू देयताएं	**–**	**–**
5	चालू देयताएं		
	(क) अल्पकालिक ऋण–उधार	–	–
	(ख) व्यापारिक प्राप्य	–	–
	(ग) अन्य चालू देयताएं	93,88,621.00	13,45,808.00
	(घ) अल्पकालिक उपबंध	–	–
	उप–योग–चालू देयताएं	**93,88,621.00**	**5,00,024.00**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं	**4,81,88,440.00**	**5,00,024.00**
ख	**परिसम्पत्तिया**		
1	**गैर–चालू परिसम्पत्तियां**		
	(क) स्थाई परिसम्पत्तियां	2,19,67,164.00	–
	(ख) समेकन पर सद्भावना	–	–
	(ग) गैर–चालू निवेश	–	–
	(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	–	–
	(ड.) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	–	–
	(च) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	2,47,47,529.00	–
	उप–योग गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**4,67,14,693.00**	**–**

धारा–41 का अनुलग्नक–IX
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

2	**चालू परिसम्पत्तियां**		
	(क) चालू निवेश	–	–
	(ख) सम्पत्ति सूची	–	–
	(ग) व्यापारिक प्राप्य	–	–
	(घ) नकद एवं बैंक शेष	13,36,359.00	5,00,024.00
	(ड.) अंशकालिक ऋण एवं अग्रिम	1,37,388.00	–
	(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	–	–
	उप–योग चालू परिसम्पत्तियां	**14,73,747.00**	**5,00,024.00**
	योग–परिसम्पत्तियां	**4,81,88,440.00**	**5,00,024.00**

ह./–
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
(आर.पी. ठाकुर)
निदेशक
डीआईएन–06764576

ह./–
(ए.पी. पण्डा)
अध्यक्ष
डीआईएन –06664375

कृते ए.डी.बी. एंड कम्पनी,
अधिकृत लेखाकार
आईसीएआई प्रतिष्ठान पंजीयन सं.–005593सी

हस्ता./–
(राजेश कुमार चावड़ा)
भागीदार
सदस्यता सं.–405675

दिनांकः 06.05.2015
स्थान : रायपुर

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,

निदेशक मण्डल,
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

हम, विश्वजीत चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं रजनीश नारायण,मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्तीय कार्य संचालन हेतु जवाबदेह, यह प्रमाणित करते हैं कि –

- हमनें 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिये वित्तीय विवरणियों एवं कैश–फ्लो विवरणियों की समीक्षा की है तथा यह हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
  - इन विवरणों में, कोई असत्य कथन नहीं है, या कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है या कोई ऐसी विवरणियां नहीं है, जिनसे भ्रम हो।
  - ये विवरण समेकित रूप में कम्पनी मामलों की सही एवं सत्य जानकारी देते है तथा ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं ।
- हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में, कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, गैर–कानूनी या कम्पनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन करता हो।
- हम वित्तीय प्रतिवेदन के लिये आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं उसे बनाए रखने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं तथा हमनें वित्तीय रिपोर्ट से सम्बद्ध कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है तथा हमनें इसके डिजाईन या आन्तरिक नियंत्रण के संचालन में पाई गई कमियों, यदि कोई हो, जो उनकी जानकारी में हो, लेखा परीक्षक को अवगत करा दिया है तथा उन्हें इन खामियों को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों या प्रस्तावित कदमों से भी अवगत करा दिया है।
- हमनें लेखा परीक्षकों को अवगत कराया है कि–
  - सन्दर्भित अवधि के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये हैं ।
  - इस अवधि के दौरान लेखाकरण नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये है तथा
  - हमें धोखाधड़ी की ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है, जिसमें वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुति पर कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में प्रबंधन अथवा उसके किसी कर्मचारी की प्रभावी भूमिका हो।

हस्ताक्षर
(रजनीश नारायण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षर
(विश्वजीत चौधरी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

दिनांक : 06.05.2015

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15